

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072020-220428
CG-DL-E-08072020-220428

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]
No. 329]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2020/आषाढ 16, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2020/ASADHA 16, 1942

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 432(अ).—साधारण खंड अधिनियम, 1897(1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित मजदूरी संहिता, 2019(2019 का 29) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित प्रारूप नियमों को बनाने और-

- (i) मजदूरी संदाय (कार्यविधि) नियम, 1937;
- (ii) मजदूरी संदाय (नामांकन) नियम, 2009;
- (iii) न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950;
- (iv) न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2011;
- (v) विभिन्न श्रम कानून नियम, 2017 के अंतर्गत रजिस्टर रखने के सहज अनुपालन में, जिस सीमा तक समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976(1976 का 25) की धारा 13, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का 11) की धारा 29 और धारा 30 तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये नियम बनाए गए हैं और तदनुसार इन्हें लागू किया गया है;
- (vi) बोनस संदाय नियम, 1975;

(vii) समान पारिश्रमिक नियम, 1976; और

(viii) समान पारिश्रमिक नियम, 1991 संबंधी केंद्रीय सलाहकार समिति;

के अधिक्रमण में, जिन्हें मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936(1936 का 4), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का 11), बोनस संदाय अधिनियम, 1965(1965 का 21) और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976(1976 का 25) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसी भी स्थिति हो, केंद्रीय सरकार ने बनाया है, इनका उक्त मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 69 द्वारा, ऐसे अधिक्रमण से पहले या विलोप किए गए कार्यों को छोड़कर, निरसन किया जाता है, और इन्हें इनसे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त धारा 67 की उप-धारा(1) द्वारा यथाअपेक्षित अधिसूचित किया जाता है, और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, जिस सरकारी राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, उसकी प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों तो, श्री एम.ए.खान, उप निदेशक (ma.khan15@nic.in) और श्रीमती रचना बोलीमेरा, सहायक निदेशक (r.bolimera@nic.in), भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजे जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, सीमा एवं प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का नाम मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020 है।
- (2) इनका विस्तार सम्पूर्ण भारत में है।
- (3) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख के पश्चात् मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) के लागू होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- (क) “प्राधिकारी” से अभिप्रेत धारा 45 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी है;
- (ख) “अपीलीय प्राधिकारी” से अभिप्रेत धारा 49 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी है;
- (ग) “अपील” से अभिप्रेत धारा 49 की उप-धारा (1) के अंतर्गत की गई अपील है;
- (घ) “बोर्ड” से अभिप्रेत धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है;
- (ङ) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत बोर्ड का अध्यक्ष है;
- (च) “संहिता” से अभिप्रेत मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) है;

- (छ) “समिति” से अभिप्रेत धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त समिति है;
- (ज) “दिन” से अभिप्रेत मध्य रात्रि से प्रारम्भ होने वाले 24 घंटे की अवधि है;
- (झ) “फॉर्म” से अभिप्रेत इन नियमों में संलग्न फॉर्म है;
- (ञ) “अत्यधिक कुशल व्यवसाय” से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में विशिष्ट स्तर की उत्कृष्टता की मांग होती है और एक पर्याप्त अवधि के लिए गहन तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा व्यावहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित होती है और साथ ही कर्मचारी से यह अपेक्षा होती है कि ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में शामिल अपने मत या निर्णय के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करे;
- (ट) “निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता” से अभिप्रेत धारा 51 की उप-धारा (1) के अंतर्गत, अधिसूचना के द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है;
- (ठ) “सदस्य” से अभिप्रेत बोर्ड का सदस्य है, जिसमें इसका अध्यक्ष भी सम्मिलित है;
- (ड) “मेट्रोपोलिटन क्षेत्र” से अभिप्रेत वह सुसंबद्ध क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या चालीस लाख अथवा अधिक है जिसमें एक या अधिक जिले शामिल हैं;
- (ढ) “गैर-मेट्रोपोलिटन क्षेत्र” से अभिप्रेत वह सुसंबद्ध क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक लेकिन चालीस लाख से कम है, जिसमें एक या अधिक जिले शामिल हैं;
- (ण) “जनसंख्या” से अभिप्रेत वह जनसंख्या है जो पूर्व जनगणना में निर्धारित की गई है और जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं;
- (त) “पंजीकृत ट्रेड यूनियन” से अभिप्रेत वह ट्रेड यूनियन है जो ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926(1926 का 16) के अंतर्गत पंजीकृत है;
- (थ) “ग्रामीण क्षेत्र” से अभिप्रेत वह क्षेत्र है जो मेट्रोपोलिटन क्षेत्र अथवा गैर-मेट्रोपोलिटन क्षेत्र नहीं है;
- (द) “अनुसूची” से अभिप्रेत इन नियमों की अनुसूची है;
- (ध) “धारा” से अभिप्रेत इस संहिता की धारा है;
- (न) “अर्ध कुशल व्यवसाय” से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में जाँब पर अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है और कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन में इसका उपयोग किये जाने लायक होता है और इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी शामिल है;
- (प) “कुशल व्यवसाय” से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में जाँब पर अनुभव के द्वारा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता और सक्षमता जरूरत होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने और विवेक की आवश्यकता होती है;
- (फ) “अकुशल व्यवसाय” से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में केवल प्रचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अतिरिक्त कौशल शामिल नहीं होती है;
- (ब) इन नियमों में यहां पर प्रयुक्त जिन सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है उनका क्रमशः वही अर्थ लिया जाएगा जो इस संहिता में दिया गया है।

अध्याय II

न्यूनतम मजदूरी

3. मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना करने की रीति. – (1) धारा 6 की उप-धारा (5) के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित मापदंड * को ध्यान में रखते हुए दैनिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी नियत की जाएगी, नामतः:-

- (I) मानक श्रमिक वर्ग परिवार जिसमें कमाने वाले कामगार के अलावा उसकी पत्नी या उसका पति और दो बच्चे शामिल हैं; जो तीन व्यस्क उपभोग इकाइयों के समान है;
- (II) प्रतिदिन प्रति उपभोग इकाई हेतु निवल 2700 कैलोरी की खपत;
- (III) प्रति मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए प्रति वर्ष 66 मीटर कपड़ा;
- (IV) आवासीय किराया व्यय जो भोजन और वस्त्र व्यय का 10 प्रतिशत होगा;
- (V) ईंधन, बिजली, और व्यय की अन्य विविध मदें जो न्यूनतम मजदूरी की 20% होंगी;
- (VI) बच्चों की शिक्षा का व्यय, चिकित्सा आवश्यकताएं, मनोरंजन और अन्य आकस्मिक व्यय जो न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत होगा;

(2) जब एक दिन के लिए मजदूरी की दर नियत की जाती है, तब एक घंटे की दर नियत करने के लिए ऐसी राशि को आठ से भाग और एक महीने के लिए मजदूरी की दर नियत करने के लिए छब्बीस से गुणा किया जाएगा, और ऐसे भाग और गुणा में आधे या आधे से अधिक गुणनखंड को अगले अंक में पूर्णांकित किया जाएगा और आधे से कम गुणनखंड को नजरअंदाज किया जाएगा।

4. मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने के मानदंड.- (1) धारा 6 के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करते समय केंद्रीय सरकार संबंधित भौगोलिक क्षेत्र को तीन वर्गों अर्थात् मेट्रोपोलिटन क्षेत्र, गैर-मेट्रोपोलिटन क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित करेगी।

(2) केंद्रीय सरकार, कौशल वर्गीकरण के संबंध में केंद्रीय सरकार को सलाह देने के प्रयोजनार्थ, एक तकनीकी समिति गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः:-

- (i) मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) – अध्यक्ष;
- (ii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव, भारत सरकार जो मजदूरी संबंधी कार्य देख रहे हैं - सदस्य;
- (iii) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार से एक प्रतिनिधि जो कौशल विकास का कार्य देख रहे हैं - सदस्य;
- (iv) रोजगार महानिदेशक, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार - सदस्य;
- (v) केंद्रीय सरकार द्वारा यथा नामित मजदूरी निर्धारण में दो तकनीकी -सदस्यगण; और
- (vi) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में उप सचिव, भारत सरकार जो मजदूरी संबंधी कार्य देख रहे हैं - सदस्य सचिव।

* नियम 3 के प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व कर्मकार बनाम मैनेजमेंट ऑफ रेप्टाकोस ब्रैट एंड कं. लि. एवं अन्य, 1992 एआईआर में दिए गए निर्णय में घोषित मापदंडों और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) की अनुशंसाओं पर आधारित हैं।

(3) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (2) में संदर्भित तकनीकी समिति की सलाह पर, कर्मचारियों के व्यवसाय को अनुसूची ड में विनिर्दिष्ट व्यवसायों को संशोधित करके, हटाकर अथवा कोई भी प्रविष्टि जोड़कर चार वर्गों में अर्थात् अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल वर्गों में वर्गीकृत करेगी।

(4) उप-नियम (2) में संदर्भित तकनीकी समिति उप नियम(3) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को सलाह देते समय यथा संभव व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण अथवा राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे अथवा व्यवसायों की पहचान करने के लिए तत्समय बनाए जा रहे अन्य समान ढांचे को ध्यान में रखेगी।

5. मंहगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिए समय अंतराल.- यह प्रयास किया जाएगा जिससे निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के संबंध में रियायत के नकद मूल्य की गणना हर वर्ष एक बार 1 अप्रैल से पहले और फिर 1 अक्तूबर से पहले न्यूनतम मजदूरी पर कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते को संशोधित करने के लिए की जा सके।

6. एक सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण के लिए कार्य घंटों की संख्या.—(1) धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत सामान्य कार्य दिवस में कार्य के आठ घंटे शामिल होंगे और विश्राम का एक या अधिक अंतराल कुल मिलाकर एक घंटे से अधिक नहीं होगा।

(2) कर्मचारी के कार्य दिवस को इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि उसका फैलाव विश्राम के अंतराल को, यदि है तो, मिलाकर किसी भी दिन 12 घंटे से अधिक नहीं होगा।

(3) कृषि रोजगार में नियोजित कर्मचारी के मामले में उप-नियम (1) और (2) के प्रावधान केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले ऐसे आशोधनों के अधीन होंगे।

(4) इस नियम से कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के प्रावधान प्रभावित नहीं समझे जाएंगे।

7. विश्राम का साप्ताहिक दिन.—(1) इस नियम के प्रावधानों के अधीन कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह एक दिन का विश्राम दिया जाएगा (इसके बाद "विश्राम दिन" के रूप में संदर्भित किया गया है) जो सामान्य रूप से रविवार होगा, लेकिन नियोक्ता सप्ताह के किसी भी अन्य दिन को किसी भी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों की श्रेणी के लिए विश्राम का दिन नियत कर सकता है।

परन्तु यह कि इस उप-नियम के अधीन कर्मचारी विश्राम दिन का हकदार होगा यदि उसने उसी नियोक्ता के अधीन लगातार न्यूनतम छह दिन काम किया है:

आगे यह भी उपबंध किया जाता है कि कर्मचारी को विश्राम दिन के रूप में नियत दिन और बाद में विश्राम दिन में परिवर्तन की सूचना परिवर्तन करने से पहले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा इस संबंध में रोजगार के स्थान पर विनिर्दिष्ट स्थान पर सूचना प्रदर्शित करके दी जाएगी।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रथम उपबंध में विनिर्दिष्ट न्यूनतम छह दिनों की लगातार अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ किसी भी दिन कर्मचारी को कार्य करना अपेक्षित है लेकिन उसे उपस्थिति के लिए केवल भत्ता दिया जाता है और उसे काम नहीं दिया जाता है, तब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अंतर्गत प्रतिकर के भुगतान पर किसी दिन कर्मचारी को कामबंदी पर रखा जाता है और विश्राम दिन के तुरन्त पहले छह दिन की अवधि में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सवेतन या वेतनरहित छुट्टी या अवकाश दिया जाता है तब उन्हें वे दिन माने जाएंगे जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है।

(2) किसी भी ऐसे कर्मचारी को विश्राम के दिन काम करना अपेक्षित या काम करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उसने विश्राम दिन के तुरन्त पहले या बाद में पांच दिनों में से किसी एक पूरे एक दिन का प्रतिस्थापित विश्राम दिन न लिया है अथवा लेगा।

यह उपबंध किया जाता है कि कोई भी प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को पूरे विश्राम दिन के बिना लगातार 10 दिन से अधिक काम करना पड़े।

(3) इस नियम के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार जहां कोई भी कर्मचारी विश्राम के दिन काम करता है और उसे विश्राम दिन के पहले या बाद पांच दिन में किसी भी दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया जाता है तब विश्राम दिन को, काम के साप्ताहिक घंटों की गणना के प्रयोजनार्थ उस सप्ताह में गिना जाएगा जिसमें प्रतिस्थापित विश्राम दिन आया है।

(4) कर्मचारी को -

(क) विश्राम दिन के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर पर परिकलित मजदूरी दी जाएगी; और

(ख) जहां पर वह विश्राम के दिन काम करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे समयोपरि दर से और विश्राम दिन के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर से मजदूरी दी जाएगी:

यह भी उपबंध किया जाता है कि जहां -

(i) संहिता के अंतर्गत यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई; अथवा

(ii) कर्मचारी की मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई है और ऐसी मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम नहीं होगी,

तब विश्राम दिन के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और

(iii) कर्मचारी ने विश्राम के दिन काम किया है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे केवल उसी विश्राम दिन के लिए समयोपरि दर पर देय मजदूरी के बराबर राशि दी जाएगी जिस दिन उसने काम किया है;

और, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस उपबंध के प्रावधानों के अनुसार मजदूरी की दैनिक दर निकाली गई है, तब क्षेत्राधिकार रखने वाले मुख्य श्रम आयुक्त(केंद्रीय) अथवा उप श्रम आयुक्त (केंद्रीय), इस संबंध में उन्हें किए गए आवेदन पर, संबंधित पक्षों को अपने लिखित अभ्यावेदनों के लिए अवसर देने के पश्चात उसका निर्णय करेंगे।

यह भी उपबंध किया जाता है कि यदि कोई कर्मचारी मात्रानुपाती दर प्रणाली से संचालित होता है, तब विश्राम दिन अथवा प्रतिस्थापित विश्राम दिन के लिए, जैसी भी स्थिति हो, मजदूरी वह होगी जिसे केंद्रीय सरकार उस रोजगार के संबंध में इस संहिता के अंतर्गत नियत मजदूरी की न्यूनतम दर को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर निर्धारित करे।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम में 'अगला पूर्ववर्ती दिन' से अभिप्रेत वह अंतिम दिन है, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है, जो विश्राम दिन या प्रतिस्थापित विश्राम दिन के पहले, जैसी भी स्थिति हो, आता है; और जहां प्रतिस्थापित विश्राम दिन, विश्राम दिन के तुरंत अगले दिन आता है तब अगला पूर्ववर्ती दिन से अभिप्रेत वह अंतिम दिन होगा जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है और जो विश्राम दिन के पहले था।

(5) इस नियम के प्रावधान अधिक अनुकूल शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई है तो, नहीं डालेंगे, जिसमें कर्मचारी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अथवा किसी पंचाट, अनुबंध अथवा सेवा की संविदा की शर्त के अंतर्गत हकदार है, और ऐसी दशा में, कर्मचारी केवल पूर्वकथित अनुकूल शर्तों का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'सप्ताह' से अभिप्रेत शनिवार रात्रि की अर्ध रात्रि से शुरू होकर सात दिन की अवधि है।

8. रात्रि पाली.— जहां पर कर्मचारी रोजगार में पाली में काम करता है जो अर्ध रात्रि के पश्चात भी चलती है, तब, -

- (क) नियम के प्रयोजनार्थ पूरे दिन के लिए विश्राम दिन से अभिप्रेत 7, इस मामले में, उसकी पाली समाप्त होने के समय से शुरू होकर लगातार चौबीस घंटे की अवधि है; और
- (ख) ऐसे मामले में अगला दिन ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से शुरू होकर चौबीस घंटे की अवधि का होगा, और अर्ध रात्रि के बाद के घंटों को, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, पूर्व दिवस में गिना जाएगा।

9. धारा 13 की उप-धारा (2) के प्रयोजनार्थ सीमा एवं शर्तें.- यदि कर्मचारी -

- (क) आपातस्थिति में कार्यरत है जिसका पूर्वानुमान नहीं किया या उसे रोका नहीं सकता था;
- (ख) प्रारम्भिक या पूरक प्रकृति के कार्यों में लगा हुआ है जिसे अनिवार्य रूप से संबंधित रोजगार में सामान्य कार्य के लिए निर्धारित बाहरी सीमाओं पर कराया जाना चाहिए;
- (ग) जिसका रोजगार अनिवार्य रूप से अनिर्न्तर है;
- (घ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है जिसे तकनीकी कारणों से झूटी समाप्त होने से पूरा किया जाना है; और
- (ङ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है, जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर कभी-कभी निर्भर होने के सिवाय नहीं किया जा सकता था;

तब नियम 6,7, और 8 के प्रावधान इस शर्त के अध्याधीन लागू होंगे कि -

- (i) कर्मचारी के कार्यघंटों का फैलाव किसी भी दिन में 16 घंटों से अधिक नहीं होगा; और
- (ii) विश्राम के अंतराल को छोड़कर वास्तविक कार्य घंटे और निष्क्रियता की अवधि, जिसके दौरान कर्मचारी झूटी पर हो सकता है लेकिन उससे शारीरिक गतिविधि करने या नियमित उपस्थिति के लिए नहीं कहा जाता है, किसी भी दिन में 9 घंटे से अधिक नहीं होगी।

10. लम्बी मजदूरी अवधि.- धारा 14 के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दर के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी अवधि एक महीना होगी।

अध्याय III

निर्वाह मजदूरी

11. निर्वाह मजदूरी नियत करने की रीति.—(1) केंद्रीय सरकार, धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत के अंतर्गत न्यूनतम निर्वाह स्तरके साथ-साथ नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (i) में यथा विनिर्दिष्ट मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए भोजन, वस्तुओं, आवास और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अन्य विचारित उपयुक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड से परामर्श करेगी।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत परामर्श से बोर्ड की प्राप्त सलाह को केंद्रीय सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को उनसे परामर्श करने के लिए परिचालित किया जाएगा।

(3) उप-नियम(2) में संदर्भित बोर्ड की सलाह और उप-नियम में संदर्भित परामर्श से राज्य सरकारों से प्राप्त मतों पर उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्वाह मजदूरी नियत करने से पहले विचार किया जाएगा।

(4) केंद्रीय सरकार उप-नियम(1) के अंतर्गत नियत निर्वाह मजदूरी को सामान्यतया पांच वर्ष से अनधिक अंतराल पर संशोधित और बोर्ड के परामर्श से आवधिक रूप से निर्वाह लागत में भिन्नता को समायोजित कर सकती है।

11क. —धारा 10 के उपबंध के खंड (ii) के अंतर्गत परिस्थितियां. —कर्मचारी धारा 10 के अंतर्गत पूर्ण सामान्य कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा यदि वह तत्समय लागू अन्य किसी विधि के अंतर्गत ऐसी मजदूरी का हकदार नहीं है।

12. राज्य सरकारों के साथ परामर्श की रीति.— केंद्रीय सरकार नियम 11 के अंतर्गत निर्वाह मजदूरी नियत करने से पहले बोर्ड की सलाह लेगी और आवश्यक समझे जाने पर ऐसी राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी।

अध्याय IV

मजदूरी का भुगतान

13. धारा 18 की उप-धारा (4) के अंतर्गत वसूली.- जहां धारा 18 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत कुल कटौतियां कर्मचारी की मजदूरी के 50 प्रतिशत से अधिक है, तब अधिकता को अग्रेनीत किया जाएगा और उत्तरवर्ती मजदूरी अवधि या अवधियों, जैसी भी स्थिति हो, से ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी ताकि किसी भी माह में वसूली उस माह में कर्मचारी की मजदूरी की पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

14. धारा 19 की उप-धारा(1) के अंतर्गत प्राधिकारी.- जिस उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय)के पास संबंधित कर्मचारी के कार्य स्थल का क्षेत्राधिकार है, वह धारा 19 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी होगा।

15. धारा 19 की उप-धारा (2) के अंतर्गत सूचना प्रदर्शित करने की रीति.- धारा 19 की उप-धारा (2) में संदर्भित सूचना को कार्य स्थल के परिसर में, जहां पर रोजगार किया जाता है, प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी सूचना की विषय-वस्तु को आसानी से पढ़ सके और सूचना की एक प्रति क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के पास भेजी जाएगी।

16. धारा 19 की उप-धारा(3) के अंतर्गत कार्यविधि.- नियोक्ता नियम 14 में संदर्भित जुर्माना लगाने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उसमें विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरणों की लिखित रूप में सूचना उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को देगा, जो स्वीकृति को प्रदान या इंकार करने से पहले संबंधित कर्मचारी और नियोक्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा।

17. कटौती की सूचना.- (1) जहां नियोक्ता धारा 20 की उप-धारा (2) के उपबंध के अनुसरण में कोई भी कटौती करता है, तब वह ऐसी कटौती की सूचना ऐसी कटौती के कारणों स्पष्ट करते हुए ऐसी कटौती की तारीख से 10 दिन के अंदर क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को देगा।

(2) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता उप-नियम (1) के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात ऐसी सूचना की जांच करेगा और यदि वह यह पाता है कि उसमें दिए गया स्पष्टीकरण संहिता के किसी भी प्रावधान या उसके अधीन बनाए गए नियम के उल्लंघन में है, तब वह नियोक्ता के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई शुरू करेगा।

18. धारा 21 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कटौति की प्रक्रिया:- यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से धारा 21 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नुकसान अथवा हानि के लिए कटौती करना चाहता है, तो वह –

- (i) कर्मचारी को विशिष्ट रूप में उसकी निगरानी के लिए उसे सौंपे गए सामान के नुकसान अथवा हानि अथवा धन के नुकसान के लिए जिसके लिए वह उत्तरदायी है तथा किस प्रकार से ऐसे नुकसान अथवा हानि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उस कर्मचारी की उदासीनता अथवा चूक उत्तरदायी है, के बारे में व्यक्तिगत रूप से तथा लिखित में कर्मचारी को उल्लेख करेगा; और

- (ii) तत्पश्चात्, कर्मचारी को स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा तथा किसी नुकसान अथवा हानि के लिए यदि कोई कटौति की जाती है, तो ऐसी कटौति करने की तारीख से 15 दिन के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

19. धारा 23 के अंतर्गत अग्रिम वसूली के संबंध में शर्तें – वसूली, जैसा मामला हो,

- (i) धारा 23 के खण्ड (ख) के अंतर्गत नियोजन प्रारम्भ होने के पश्चात् कर्मचारी को दिया गया अग्रिम धन; अथवा
- (ii) किसी कर्मचारी को वेतन का अग्रिम जो उसने धारा 23 के खण्ड (ग) के अंतर्गत अर्जित नहीं किया है, का भुगतान नियोक्ता द्वारा निर्धारित किशतों में संबंधित कर्मचारी के वेतन में नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, ताकि कोई एक किशत अथवा सभी किशतें उस वेतन अवधि में कर्मचारी की वेतन अवधि में वेतन के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी तथा ऐसी वसूली का विवरण प्रपत्र-1 में रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

20. धारा 24 के अंतर्गत कटौती – केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋणों और उन पर देय ब्याज की वसूली हेतु कटौतियां ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने की सीमा तथा इन पर देय ब्याज दर को विनियमित करने वाले समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए निदेश अथवा जारी परिपत्र के अध्यक्षीन होंगी।

अध्याय V

बोनस का भुगतान

21. छठे लेख वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की गणना – छठे लेख वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ, जैसा भी मामला हो, की गणना धारा 26 की उप-धारा (7) के खण्ड (i) के अंतर्गत अनुसूची 'क' में वर्णित ढंग से पांचवे तथा छठे लेख वर्ष से संबंधित आबंटन योग्य सरप्लस सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की अधिकता अथवा कमी, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

22. सातवें लेख वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की गणना – सातवें लेख वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ, जैसा भी मामला हो, की गणना धारा 26 की उप-धारा (7) के खण्ड (ii) के अंतर्गत अनुसूची 'क' में वर्णित ढंग से पांचवे, छठे एवं सातवें लेख वर्ष से संबंधित आबंटन योग्य सरप्लस सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की अधिकता अथवा कमी, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

23. धारा 32 के खण्ड (क) के अंतर्गत सकल लाभों की गणना – किसी नियोक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठान से लेखा वर्ष के संबंध में प्राप्त किए गए सकल लाभों की गणना बैंकिंग कम्पनी के मामले अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट ढंग से की जाएगी।

24. धारा 32 के खण्ड (ख) के अंतर्गत सकल लाभों की गणना – किसी नियोक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठान से लेखा वर्ष के संबंध में प्राप्त किए गए सकल लाभों की गणना बैंकिंग कम्पनी के मामले अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट ढंग से की जाएगी।

25. धारा 34 के खण्ड (ग) के अंतर्गत अतिरिक्त राशियों की कटौति – नियोक्ता के संबंध में अनुसूची 'घ' में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त राशियों की कटौति धारा 34 के खण्ड (ग) के अंतर्गत पूर्व शुल्कों के रूप में सकल लाभ से की जाएगी।

26. धारा 36 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अग्रनयन करने का ढंग – किसी लेखा वर्ष में जहां आबंटन योग्य सरप्लस धारा 26 के अंतर्गत प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को भुगतेय अधिकतम बोनस की राशि से अधिक हो जाता है, तो वह अधिक राशि को, उस लेखा वर्ष में प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों के कुल वेतन के 20 प्रतिशत की सीमा के अध्यक्षीन, अनुसूची 'क' में वर्णित अनुसार ढंग से बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग किए जाने के लिए चौथे लेखा वर्ष सहित आगामी लेखा वर्ष और इसी प्रकार आगे के लेखा वर्षों में सेट ऑन करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

27. धारा 36 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अग्रनयन करने का ढंग – किसी लेखा वर्ष में जहां कोई सरप्लस उपलब्ध नहीं है अथवा उस वर्ष में आबंटन योग्य सरप्लस धारा 26 के अंतर्गत प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को भुगतेय न्यूनतम बोनस की राशि से कम हो जाता है, तथा नियम 26 के अंतर्गत अग्रनीत कोई राशि अथवा पर्याप्त राशि नहीं है तथा सेट ऑन नहीं है जिसे न्यूनतम बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जा सकता है, वहां, ऐसी न्यूनतम राशि अथवा कमी, जैसा भी मामला हो, को अनुसूची 'क' में वर्णित ढंग के अनुसार चौथे लेखा वर्ष सहित आगामी लेखा वर्ष तथा उसके बाद के वर्षों में सेट ऑफ करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

अध्याय VI

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

क. धारा 42 की उप-धारा (10) के अंतर्गत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया—

28. बोर्ड का गठन (1) बोर्ड में केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले धारा 42 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) में निर्दिष्टानुसार नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति तथा इसी उप-धारा के खण्ड (ग) और (घ) में निर्दिष्टानुसार स्वतंत्र व्यक्ति एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(2) धारा 42 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में संदर्भितानुसार नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या बारह होगी तथा इसी उप-धारा के खण्ड (ख) में संदर्भित कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बारह होगी।

3. केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले धारा 42 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों में निम्नलिखित शामिल होंगे, नामतः—

- (i) अध्यक्ष;
- (ii) दो संसद सदस्य;
- (iii) चार सदस्य जिनमें से प्रत्येक वेतन एवं श्रम संबंधी मुद्दों के क्षेत्र में व्यावसायिक होगा।
- (iv) एक सदस्य जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी है अथवा रह चुका है; और
- (v) दो सदस्य जिनमें से प्रत्येक धारा 42 की उप-धारा (4) में संदर्भित राज्य सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष होगा, जहां तक संभव हो, उसे राज्यों से रोटेशन आधार पर लिया गया हो।

4. धारा 42 के खण्ड (घ) में संदर्भित राज्य सरकारों के पांच प्रतिनिधियों में प्रत्येक ऐसे राज्य के राज्य श्रम विभाग के प्रधान सचिव अथवा सचिव अथवा आयुक्त होंगे जिनका निर्धारण केन्द्र सरकार रोटेशन आधार पर समय-समय पर करे।

5. केन्द्र सरकार, बोर्ड के सदस्य नामित करते समय, इस बात का ध्यान रखेगी कि उप-नियम (2) के अंतर्गत स्वतंत्र सदस्यों के संख्या बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक न हो तथा बोर्ड के सदस्यों में एक-तिहाई महिलाएं होंगी।

29. बोर्ड के अतिरिक्त कार्य – धारा 42 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त, यह बोर्ड केन्द्र सरकार द्वारा संदर्भ मांगने पर सरकार को निम्नलिखित के संबंध में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देता है –

- (i) श्रमजीवी पत्रकारों एवं अन्य समाचार-पत्र कर्मचारियों (सेवा शर्तों) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 2 के खण्ड (च) में परिभाषितानुसार श्रमजीवी पत्रकारों; और
- (ii) बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तों) अधिनियम, 1976 (1976 का 11) की धारा 2 के खण्ड (घ) में परिभाषितानुसार बिक्री संवर्धन कर्मचारी।

30. बोर्ड की बैठक :- अध्यक्ष, नियम 32 के उपबंधों के अधीन, किसी भी समय जब वह उचित समझे, बोर्ड की बैठक बुला सकता है:

बशर्ते कि न्यूनतम आधे सदस्यों से लिखित में मांग प्राप्त होने पर, अध्यक्ष ऐसी मांग प्राप्त होने की तारीख के तीस दिन के अंदर बैठक बुलाएंगे।

31. बैठक का नोटिस – अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की तारीख, समय एवं स्थान का निर्धारण करेंगे तथा उक्त विवरण को शामिल करते हुए बैठक में की जाने वाली कार्यसूची के साथ लिखित नोटिस ऐसी बैठक की निर्धारित तारीख से कम-से कम पन्द्रह दिन पहले पंजीकृत डाक एवं इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा:

वशर्ते कि आकस्मिक बैठक के मामले में, प्रत्येक सदस्य को केवल सात दिन का नोटिस भी दिया जा सकता है।

32. अध्यक्ष के कार्य:- अध्यक्ष

(i) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे:

वशर्ते कि किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य अपने में से उस बैठक की अध्यक्षता करने हेतु मतों के बहुमत से सदस्य का चुनाव करेंगे;

(ii) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का निर्धारण करेंगे;

(iii) जब बोर्ड की बैठक में, यदि कोई मुद्दा मतदान द्वारा निर्णित किया जाना है, तो मतदान कराएंगे तथा बैठक में गुप्त मतदान की गणना करेंगे अथवा कराएंगे।

33. गणपूर्ति – किसी बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा यदि न्यूनतम एक-तिहाई सदस्य तथा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों दोनों का न्यूनतम एक-एक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है;

वशर्ते कि, यदि किसी बैठक में एक-तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हैं, तो अध्यक्ष उस बैठक को मूल बैठक की तारीख से अधिकतम सात दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं तथा ऐसी स्थगित बैठक में कार्य का निपटान वैध हो जाएगा चाहे उपस्थित सदस्यों की संख्या कुछ भी हो:

वशर्ते कि ऐसी स्थगित बैठक की तारीख, समय एवं स्थान सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से अथवा पंजीकृत डाक से सूचित किया जाए।

34. बोर्ड के कार्य का निपटान – बोर्ड के सभी कार्यों पर बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा तथा उपस्थित सदस्यों तथा मतदान करने वालों के बहुमत द्वारा कार्यों का निर्णय लिया जाएगा तथा बराबर मत होने पर, अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा;

वशर्ते कि अध्यक्ष, यदि उचित समझे, तो निदेश दे सकते हैं कि किसी मामले के संबंध में निर्णय आवश्यक दस्तावेजों के परिचालन तथा सदस्यों का लिखित मत प्राप्त करके किया जाएगा:

इसके साथ-साथ शर्त यह है कि पूर्ववर्ती परंतुक के अंतर्गत किसी मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा जब तक कि न्यूनतम दो-तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करें।

35. मतदान का तरीका – बोर्ड में मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर किया जाएगा परंतु यदि सदस्य बैलेट द्वारा मतदान की मांग करता है अथवा यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेते हैं, तो मतदान गुप्त बैलेट द्वारा अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित ढंग से कराया जाएगा।

36. बैठकों कार्यवाहियां – (1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम दर्शाते हुए, बैठक के तुरंत बाद हर हाल में अगली बैठक से सात दिन पहले प्रत्येक सदस्य तथा केन्द्र सरकार को अग्रेषित की जाएंगी।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठकों की कार्यवाहियों की अगली बैठक में आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों, यदि कोई हो, के साथ पुष्टि की जाएगी।

37. गवाहों को आहूत करना एवं दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण (i) अध्यक्ष, यदि अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अपेक्षित हो तो किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में प्रस्तुत होने तथा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आहूत कर सकता है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे बुलाया जाता है तथा जो बोर्ड के समय गवाह के रूप में प्रस्तुत होता है, वह अपने द्वारा किए गए खर्च के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले गवाहों को देय भत्ते के भुगतान के लिए उस समय प्रवृत्त स्केल के अनुसार भत्ता का पात्र होगा।

38. समितियों की नियुक्ति – केन्द्र सरकार धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत इस खंड में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जितनी यह आवश्यक समझे, उतनी समितियां गठित कर सकती है।

ख. धारा 42 की उप-धारा (11) के अंतर्गत बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल

39. बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल :- (1) अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य का कार्यकाल, जैसा भी मामला हो, धारा 42 की उप-धारा(1) के अंतर्गत उसकी नियुक्ति अथवा नामांकन, जो भी मामला हो, की तारीख से सामान्यतः उसकी नियुक्ति अथवा नामांकन, जो भी मामला हो, की तारीख से सामान्यतः दो वर्ष का होगा:

बशर्ते कि ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य, दो वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति होने के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति अथवा नामांकन, जैसा भी मामला हो, तक अपने पद पर बने रहेंगे।

(2) आकस्मिक स्थिति को भरने के लिए नामित बोर्ड का स्वतंत्र सदस्य जिसके स्थान पर उनको नामित किया गया है, उस सदस्य के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा।

(3) बोर्ड के आधिकारिक सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका स्थान उनके जैसे अन्य आधिकारिक सदस्यों द्वारा न ले लिया जाए।

(4) उप-नियम (1), (2), एवं (3) में शामिल किसी बात के बावजूद, बोर्ड के सदस्य केन्द्र सरकार की इच्छा तक अपने पद पर बने रहेंगे।

40. यात्रा भत्ता- बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य उनके द्वारा अपनी ड्यूटी के संबंध में की गई किसी भी यात्रा के लिए केन्द्र सरकार के समूह-क अधिकारी पर लागू दरों एवं शर्तों के अधधीन यात्रा एवं पड़ाव भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

41. अधिकारी एवं स्टाफ – केन्द्र सरकार बोर्ड के कामकाज के लिए जो इसे आवश्यक लगे, बोर्ड को कम से कम संयुक्त सचिव, भारत सरकार के रैंक का एक सचिव, अन्य अधिकारी एवं स्टाफ उपलब्ध करा सकती है।

42. बोर्ड के सदस्यों के पुनर्नामांकन हेतु पात्रता – एक निवर्तमान सदस्य बोर्ड की सदस्यता के लिए पुनर्नामांकन हेतु पात्र होगा परंतु वह कुल दो कार्यकाल के लिए सदस्य रह सकता है।

43. बोर्ड के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का त्यागपत्र – (1) बोर्ड का सदस्य, अध्यक्ष के अतिरिक्त, अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है तथा अध्यक्ष केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकते हैं।

(2) त्यागपत्र इसकी स्वीकृति की सूचना की तारीख के 30 दिन की समाप्ति जो भी पहले हो, से प्रभावी होगा।

(3) जब बोर्ड में कोई रिक्ति होती है अथवा बोर्ड की सदस्यता में रिक्ति होने की संभावना होती है, तो तत्काल अध्यक्ष इसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को देंगे तथा केन्द्र सरकार, तब, संहिता के उपबंधों के अनुसार रिक्तियों को भरने हेतु उपाय करेगी।

44. सदस्यता का समाप्त होना – यदि बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना, तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित हो जाता है, तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

45. अयोग्यता – (1) एक व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होने तथा सदस्य के रूप में नामित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा-

(i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित/पागल घोषित कर दिया जाता है; अथवा

(ii) यदि वह अनुन्युक्त दिवालिया है; अथवा

(iii) यदि संहिता के प्रारम्भ होने के पहले अथवा बाद में उसे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी पाया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या अयोग्यता उप-नियम (1) के अंतर्गत हुई है या नहीं, तो इस पर केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय VII

बकायों, दावों इत्यादि का भुगतान

46. धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत भुगतान – जब संहिता के अंतर्गत कर्मचारी को देय कोई राशि उसकी मृत्यु अथवा उसका ठिकाना नहीं पता होने के कारण उसको देनी बकाया है, तथा इस राशि के कर्मचारी को देय होने की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामित को यह राशि भुगतान नहीं की जा सकी, तो नियोक्ता द्वारा यह राशि क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास जमा की जाएगी, जो उसके पास राशि जमा कराने की तारीख के दो माह के अंदर कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति की पहचान का पता लगाकर उस राशि का वितरण करेगा।

47. धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत असंवितरित बकाया जमा करना.— (1) जहाँ इस संहिता के अंतर्गत किसी कर्मचारी को देय कोई राशि कर्मचारी द्वारा नामांकन नहीं करने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से असंवितरित रह जाती है, तथा इस राशि के देय होने की तारीख से छह माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामित को इस राशि का भुगतान नहीं किया जा सका, तो नियोक्ता द्वारा ऐसी सम्पूर्ण राशि छह माह की उक्त अवधि के अंतिम दिन से पन्द्रह दिन की समाप्ति से पहले उस क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास जमा की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित राशि नियोक्ता द्वारा उस क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास बैंक अंतरण अथवा भारत में किसी अनुसूचित बैंक से उस उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पक्ष में जारी रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी।

48. धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत असंवितरित देयों के निपटान का तरीका.— (1) नियम 47 के उप-नियम (1) में संदर्भित राशि (एतदुपरांत इस नियम में राशि के रूप में संदर्भित) संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास जमा राशि उसी के पास रहेगी तथा वह उसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेशित अथवा किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में रखेगा।

(2) संबंधित क्षेत्राधिकार के उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) जितनी, जल्दी संभव हो सके, राशि से संबंधित विवरणों के साथ, जिसे सूचनार्थ उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) प्रयाप्त समझे, नोटिस बोर्ड पर न्यूनतम पन्द्रह दिन के लिए नोटिस पर्दशित करेगा तथा क्षेत्र में जिसमें असंवितरित वेतन अर्जित किए गया था, उसमें सामान्यतः समझी जाने वाली भाषाओं में परिचालित हो रहे किन्हीं दो समाचारपत्रों में भी इस नोटिस को प्रकाशित करेगा।

(3) उप-नियम (4) के उपबंध के अध्यधीन, संबंधित क्षेत्राधिकार वाला उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) नामित अथवा उस व्यक्ति को जिसने उस राशि का दावा किया है, जैसा भी मामला हो, तथा जिसके पक्ष में उस उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् राशि भुगतान करने को निर्णय किया है, राशि जारी करेगा।

(4) यदि यह असंवितरित राशि सात वर्ष में लिए अदावाकृत रहती है, तो इसका निपटान इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथा-निर्देशित ढंग से किया जाएगा।

अध्याय VIII

प्रपत्र, रजिस्टर एवं वेतन पर्ची

49. एकल आवेदन का प्रपत्र.— धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत प्रपत्र-II में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ इस प्रपत्र में एकल आवेदन दायर किया जा सकता है।

50. अपील:— धारा 45 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिकारी द्वारा पारित आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति धारा 49 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रपत्र-III में अपीलकर्ता द्वारा वर्णित दस्तावेजों के साथ इस प्रपत्र में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

51. रजिस्टर इत्यादि का प्रपत्र.- (1) धारा 19 की उप-धारा (8) में संदर्भित सभी जुर्माने एवं उनकी वसूलियों का विवरण इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-I के रूप में नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में इलैक्ट्रॉनिक ढंग में अथवा अन्यथा रूप में रखा जाएगा तथा उक्त उप-धारा (8) में संदर्भित प्राधिकारी उस क्षेत्र के उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय.) होंगे।

(2) धारा 21 की उप-धारा (3) में संदर्भित सभी कटौतियों एवं वसूलियों का विवरण इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-I के रूप में नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में इलैक्ट्रॉनिक ढंग से अथवा अन्यथा रखा जाएगा।

(3) किसी भी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता जिस पर या संहिता लागू होती है, वह धारा 50 की उप-धारा (1) के अंतर्गत फार्म I तथा फार्म IV में इलैक्ट्रॉनिक अथवा अन्य किसी रूप में रजिस्टर रखेगा।

52. वेतन पर्ची.- प्रत्येक नियोक्ता वेतन के भुगतान के समय अथवा उससे पहले धारा 50 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतत्र V में अपने कर्मचारियों को इलैक्ट्रॉनिक अथवा अन्यथा ढंग से वेतन पर्ची जारी करेगा।

53. धारा 53 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जाँच कराने का तरीका-(1) जब धारा 53 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी के समक्ष (एतदुपरांत इस नियम में अधिकारी के रूप में संदर्भित) उक्त उप-धारा में संदर्भित अपराधों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अधिकारी अथवा पीडित कर्मचारी अथवा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक संघ अथवा किसी निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा शिकायत दायर की जाती है, तो शिकायतकर्ता द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात अधिकारी का मत है कि अपराध किया गया है, तो यह अपराधी को प्रस्तुत होने के लिए तारीख का निर्धारण करते हुए शिकायत में विनिर्दिष्ट पते पर समन जारी करता है।

(2) यदि अपराधी जिसे उप-नियम (1) के अंतर्गत समन जारी किया गया है, प्रस्तुत होता है अथवा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो अधिकारी उसे उसके खिलाफ शिकायत किए गए अपराध का उल्लेख करेगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार करता है तो अधिकारी संहिता के उपबंधों के अनुसार उस पर शास्ति लगाएगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार नहीं करता है, तो अधिकारी शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पर साक्ष्य लेगा तथा इस तरह लाए गए गवाहों से प्रश्न पूछने (जिरह) का अवसर उपलब्ध कराएगा। यह अधिकारी गवाहों के शपथ पर बयान तथा जिरह को बचाव का अवसर देगा तथा उसके लिखित में रिकार्ड करेगा और दस्तावेजी साक्ष्यों को रिकार्ड में लेगा।

(3) अधिकारी, शिकायतकर्ता के साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात, दोषी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पर बयान लेने के पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा जिरह की जाएगी तथा अधिकारी द्वारा बचाव में दिए गए दस्तावेजी साक्ष्यों को रिकार्ड में लिया जाएगा।

(4) अधिकारी पक्षकारों को सुनने तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करके संहिता के उपबंधों के अनुसार शिकायत पर निर्णय लेगा।

54. धारा 56 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जुर्माना लगाने का तरीका - (1) कोई दोषी व्यक्ति यदि धारा 56 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपराध का शमन चाहता है, तो वह उक्त उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी को प्रपत्र VI में इलैक्ट्रॉनिक ढंग से अथवा अन्यथा आवेदन पर कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित राजपत्रित अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं सुनिश्चित करेगा कि यह अपराध संहिता के अंतर्गत शमनयोग्य है या नहीं और यदि अपराध शमनयोग्य है तथा दोषी व्यक्ति शमन के लिए सहमत हो जाता है, संहिता के अंतर्गत ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि पर अपराध की सुलह कर लेता है जिसका ऐसे अधिकारी द्वारा जारी शमन आदेश में निर्दिष्ट समय-सीमा में दोषी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाना है।

(3) जहां अभियोजन चलाने के पश्चात उप-नियम (2) के अंतर्गत अपराध में सुलह की गई है, वहां, वह अधिकारी अपने द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेश को प्रति धारा 56 की उप-धारा (6) के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु धारा 53 की उप-धारा (1) में संदर्भित अधिकारी को भेजेगा।

अध्याय IX

विविध

55. वेतन का समय पर भुगतान – जहां कर्मचारी किसी प्रतिष्ठान में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हैं, वहां, वह कंपनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो उस प्रतिष्ठान का मालिक है, ठेकेदार को उसके, जैसा भी मामला हो, द्वारा देय राशि का भुगतान वेतन के भुगतान की तारीख से पहले करेगा ताकि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान धारा 17 के उपबंधों के अनुसार निश्चित रूप से किया जा सके।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द “फर्म” का वही अर्थ होगा जो इसका अर्थ भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में है।

56. श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तकनीकी समिति – केंद्र सरकार, श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित श्रमजीवी पत्रकारों के लिए संहिता के अंतर्गत न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ ऐसे निर्धारण के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने हेतु धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत एक तकनीकी सलाहकार समिति गठित कर सकती है।

57. न्यूनतम बोनस के भुगतान हेतु उत्तरदायित्व :- जहां किसी प्रतिष्ठान में, कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किए जाते हैं तथा ठेकेदार धारा 26 के अंतर्गत उनको न्यूनतम बोनस का भुगतान करने में असफल हो जाता है, वहां, कंपनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा धारा 43 के परंतुक में यथा संदर्भित अन्य कोई व्यक्ति, कर्मचारियों अथवा किसी पंजीकृत श्रमिक संघ अथवा संघों जिनके कर्मचारी सदस्य हैं, द्वारा ऐसी असफलता की लिखित सूचना दिए जाने पर तथा इसकी पुष्टि करने पर कर्मचारियों को इस न्यूनतम बोनस का भुगतान करेगा।

58. निरीक्षण योजना :- (1) संहिता एवं इन नियमों के प्रयोजनार्थ, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से एक निरीक्षण योजना बनायी जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित निरीक्षण योजना में, ढांचागत तथ्यों के अतिरिक्त, योजना में प्रत्येक निरीक्षक – सह-सुविधाप्रदाता तथा प्रतिष्ठान को एक संख्या विनिर्दिष्ट की जाएगी।

[फा.सं.एस-32017/01/2019-डब्ल्यूसी]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

प्रपत्र-I

(नियम 19 तथा नियम 51 (1),(2) और(3) देखें)

वेतन, समयोपरी भत्ता, जुर्माना, नुकसान और क्षति के लिए कटौती संबंधी रजिस्ट्रार

प्रतिष्ठान का नाम:

नियोक्ता का नाम ():

स्वामी का नाम:

नियोक्ता पैन/टैन

श्रम पहचान संख्या (एलआईएम)

कर्मचारी रजिस्ट्रार में क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम/विभाग	वेतन के भुगतान की अवधि (मासिक /पाक्षिक//साप्ताहिक//दैनिक/ /खंड में रेटेड)	वेतन की अवधि से – तक	अवधि के दौरान कार्य किए गए दिवसों की कुल संख्या	कुल ओवर टाइम (काम किए गए घंटे अथवा खंड कामगारों के मामले में उत्पादन)	वेतन की दरें		
							मूल वेतन	डीए	भत्ते
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ओवरटाइम से आय	कृत्यों एवं चूक की प्रकृति जिसके लिए जुर्माना लगाया गया का तारीख के साथ विवरण	लगाए गए जुर्माने की राशि	कर्मचारी की लापरवाही अथवा चूक से नियोक्ता को होने वाली क्षति अथवा नुकसान	वेतन से कटौती की राशि	भुगतान किए गए वेतन की कुल राशि	भुगतान की तारीख	उपस्थिति	
							तारीख	हस्ताक्षर
11	12	13	14	15	16	17	18	19

प्रपत्र-II

[नियम 49 देखें]

[धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत एकट आवेदन]

वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उप-धारा(1) के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष
..... के लिस क्षेत्र.....

आवेदन संख्या20----- का

क, ख, ग (संख्या का उल्लेख करें) और ----- अन्य ----- आवेदक
(संबंधित कर्मचारियों अथवा पंजीकृत व्यापार यूनियन अथवा निरीक्षक- सह- प्रोत्साहक के माध्यम से)

पता -----

और

-----क्ष, त्र, ज्ञ

पता -----

के बीच

इस आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

(1) आवेदक जिनका (जिनके)नाम संलग्न अनुसूची में दिए गए हैं, ----- में शामिल (कार्य की प्रकृति जो वेतन संहिता 2019 द्वारा कवर होती है/ हैं) श्री/ मैसर्स ----- के ----- (प्रतिष्ठान) में ----- से -----तक ----- (श्रेणी) के रूप में नियुक्त किया गया था / है।

(2) प्रतिवादी वेतन संहिता, 2019 की धारा 2 (1) की विवक्षा के अंतर्गत नियोक्ता है/ हैं

(3) (क) आवेदक(आवेदकों) को ----- से -----तक की अवधि के लिए ----- रुपये प्रति दिन के हिसाब से इस संहिता के अंतर्गत कर्मचारी (यों) की उनकी श्रेणी (यों) के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों से कम वेतन का भुगतान किया गया है।

(ख) आवेदक (कों) को ----- से ----- तक विश्राम के साप्ताहिक दिनों के लिए ----- रुपये प्रति दिन के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) आवेदक (कों) को ----- से ----- तक की अवधि के लिए समयोपरि दर (रों) पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) आवेदक (कों) को ----- से ----- तक की अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

(ङ) आवेदक (कों) के वेतन (नों) से जो कटौती की गई है वह इस संहिता का उल्लंघन है। कटौती का ब्यौरा जिसका ब्यौरा इस आवेदन के साथ संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

(च) आवेदक (कों) को लेखा वर्ष ----- के लिए न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) आवेदक प्रत्येक राशि पर स्वयं द्वारा मांगी गई राहत का मूल्य निम्नानुसार आकलित करता/करते हैं:

(क) ----- रुपये

(ख) ----- रुपये

(ग) ----- रुपये

कुल ----- रुपये

(5) अतः आवेदक अनुरोध करता/करते हैं कि वेतन संहिता, 2019 की धारा 45(2) के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए निदेश जारी किया जाए;

(क) संहिता के अंतर्गत देय वेतन और वास्तव में भुगतान किए गए वेतन के बीच के अंतर का भुगतान ।

(ख) विश्राम के दिवसों के लिए प्रतिपूर्ति का भुगतान ।

(ग) समयोपरि दरों पर वेतन का भुगतान

(घ) ----- रुपये का मुआवजा

(6) आवेदक एतद्वारा यह घोषणा करता है /करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य उनकी अधिकतम जानकारी , विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक

नियुक्त किए गए व्यक्ति (यों) अथवा किसी पंजृत ट्रेड यूनियन द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा निरीक्षक-सह-प्रोत्साहक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान.

टिप्पणी: आवेदक, यदि आवश्यक हो तो इस आवेदन के साथ ब्यौरों से संबंधित अनुबंध संलग्न कर सकता है/सकते हैं।

प्रपत्र III

(नियम 50 देखें)

वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत अपील प्राधिकारी के समक्ष वेतन संहिता, 2019 की धारा 49 (1) के अंतर्गत अपील

क ख ग

पता

.....अपीलकर्ता

बनाम

ग घ ङ

पताप्रतिवादी

अपील का ब्यौरा:

1. उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील की गई है:-

संख्या और तारीख :

प्राधिकारी जिसने प्रश्नगत आदेश जारी किया है

प्रदान की गई राशि :

प्रदान किया गया मुआवजा, यदि कोई हो :

2. मामले के तथ्य :

(इसमें तथ्यों का कालक्रमानुसार एक संक्षिप्त विवरण दें, जहां तक संभव हो प्रत्येक अनुच्छेद में एक अलग मामले अथवा तथ्य का उल्लेख किया जाए).

3. अपील के आधार :

4. वैसे मामले जिन्हें पहले दर्ज नहीं किया गया अथवा जो किसी अन्य न्यायालय अथवा किसी अपील प्राधिकारी के पास लंबित ना हो।

अपीलकर्ता आगे यह घोषणा करता है कि उसने इस मामले के संबंध में जिसमें यह अपील की गई है, पहले कोई अपील, रिट याचिका अथवा सूट किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं किया है और ना ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या सूट उनमें से किसी के पास लंबित है।

5. मांगी गई राहत

उपर उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत प्रदान करने का अनुरोध करता है :-

[नीचे मांगी गई राहत (तो) का उल्लेख करें]

6. अनुल्नों की सूची:

1.

2.

3.

4.

.....

तारीख:

स्थान :

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग के लिए

दायर करने की तारीख

अथवा

डाक द्वारा प्राप्त करने की तारीख

पंजीकरण संख्या .

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रपत्र IV

[नियम 51(3) देखें]

कर्मचारी रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम :

नियोक्ता का नाम:

स्वामी का नाम :

नियोक्ता का पैना/टैन:

श्रम पहचान संख्या (एलआईएन):

क्रम संख्या	कर्मचारी कोड	नाम	उप-नाम	लिंग	पिता/पति/पत्नी का नाम	जन्म तिथि	राष्ट्रीयता	शैक्षणिक स्तर	कार्यग्रहण की तारीख	पदनाम	श्रेणी (एचएस/एस एसयूएस)*	रोजगार का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

मोबाइल संख्या	यूएन	पैन	ईएसआईसी आईपी संख्या	आधार	बैंक खाता संख्या	बैंक	शाखा(आईएफएससी)	वर्तमान पता	स्थायी पता
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

सेवा पुस्तिका संख्या .	छोड़ने की तारीख	छोड़ने का कारण	पहचान चिन्ह	फोटो	नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	अभ्युक्तियां
24	25	26	27	28	29	30

*(अति कुशल/कुशल/अर्धकुशल/अकुशल)

प्रपत्र V

[नियम 52 देखें]

वेतन पर्ची

जारी करने की तारीख:

प्रतिष्ठान का नाम..... पता अवधि.....

1. कर्मचारी का नाम :

2. पिता / पति/पत्नी का नाम:

3. पदनाम :

4. यूएन:

5. बैंक खाता सं.:

6. वेतन अवधि:

7. देय वेतन के दर: क.) मूल

ख.) महंगाई भत्ता

ग.) अन्य भत्ते

8. कुल उपस्थिति /किए गए कार्य की मात्रा:

9. समयोपरि वेतन:

10. देय सकल वेतन :

11. कुल कटौती: क.) भविष्य निधि

ख.) ईएसआई

ग.) अन्य

12. भुगतान किया गया कुल वेतन:

नियोक्ता / वेतन प्रभारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र VI

[नियम 54 देखें]

अपराध के कृत्य के लिए धारा 56 की उप-धारा (4) के तहत आवेदन

1. आवेदक का नाम :

2. पिता / पति-पत्नी का नाम :

3. आवेदक का पता :

4. अपराध के विवरण
.....
.....
.....

5. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है

:.....

6. इस संहिता के तहत अपराध के लिए प्रदान किया गया अधिकतम जुर्माना

:.....

7. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई अभियोजन लंबित है या नहीं

:.....

8. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था। यदि हां, तो, पहले अपराध का पूर्ण विवरण दे।

:.....
.....
.....

9. कोई अन्य सूचना जो आवेदक प्रदान करना चाहता हो

:.....
.....
.....

आवेदक

(नाम और हस्ताक्षर)

दिनांक:

अनुसूची क

[नियम 21, 22, 26 और 27 देखें]

इस अनुसूची में सभी कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन अथवा मजदूरी के 8.33 प्रतिशत के बराबर बोनस की कुल राशि 1,04,167 मानी गई है। तदनुसार अधिकतम बोनस जिसके लिए सभी कर्मचारी भुगतान के पात्र (सभी कर्मचारियों के वार्षिक वेतन अथवा मजदूरी का 20 प्रतिशत) अधिकतम बोनस की राशि 2,50,000 रुपये होगी।

वर्ष	बोनस के रूप में आवंटित किए जाने योग्य उपलब्ध अतिरिक्त राशि के 60 प्रतिशत या 67 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, के बराबर राशि	बोनस के रूप में देय राशि	वर्ष का अग्रेणीत सैट-ऑन अथवा सैट ऑफ	कुल अग्रेणीत सैट-ऑन अथवा सैट ऑफ	
1	2	3	4	5	6
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	वर्ष (का)
1.	1,04,167	1,04,167**	शून्य	शून्य	
2.	6,35,000	2,50,000*	सैट ऑन 2,50,000*	सैट ऑन 2,50,000*	(2)
3.	2,20,000	2,50,000* (वर्ष-2 से 30,000 को शामिल करते हुए)	शून्य	Set on 2,20,000	(2)
4.	3,75,000	2,50,000*	सैट ऑन 1,25,000	सैट ऑन 2,20,000 1,25,000	(2) (4)
5.	1,40,000	2,50,000* (वर्ष-2 से 1,10,000 को शामिल करते हुए))	शून्य	सैट ऑन 1,10,000 1,25,000	(2) (4)
6.	3,10,000	2,50,000*	सैट ऑन 60,000	सैट ऑन शून्य + 1,25,000 60,000	(2) (4) (6)
7.	1,00,000	2,50,000* (वर्ष 4 से 1-25000 तथा वर्ष 6 से 25000 को शामिल करते हुए)	शून्य	Set on 35,000	(6)
8.	शून्य (नुकसान के कारण)	1,04,167**(वर्ष 6 से 35000 को शामिल करते हुए)	सैट ऑफ 69,167	सैट ऑफ 69,167	(8)
9.	10,000	1,04,167**	सैट ऑफ 94,167	सैट ऑफ 69,167 94,167	(8) (9)

10.	2,15,000	1,04,167** (वर्ष 8 से 69,167 तथा वर्ष 9 से 41,666 के सैट-ऑफ के बाद)	शून्य	सैट ऑफ 52,501	(9)
-----	----------	---	-------	------------------	-----

टिप्पणी:-

* अधिकतम.

+ वर्ष 2 के व्यपगत से 1,10,000 रुपये के सैट ऑन से से अंत शेष

**** न्यूनतम**

अनुसूची ख
सकल लाभ की संगणना

[नियम 23 देखें]

.....को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

[illegible]

	(ग) आय कर के लिए अनज्ञेय राशि के आधिक्य में संदाय (घ) (वैज्ञानिक अन्वेषण पर उस पूंजीगत व्यय से भिन्न जिसकी जिसकी कटौती प्रत्यक्ष करों से संबंधित किसी वत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञात है) पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत हानियां (जो पूंजीगत आस्तियों के विक्रय पर हुई हानियों से भिन्न हैं, जिन पर आय कर हेतु अवमूल्यन अनुज्ञात किया गया है। (ङ.) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 34क की उप-धारा 92) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाणित कोई राशि। (च) भारत के बाहर स्थित किसी व्यवसाय की हानियां या तत्संबंधी व्यय। मद संख्या 3 का व्यय	राशि.....		देखें
4.	निम्नलिखित से भिन्न वह आय, वे लाभ या अधिलाभ (यदि कोई हो) भी जोड़ दें, जो प्रकाशित अथवा प्रकटित आरक्षित खाते में सीधे जमा किए गए हैं - (i) पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत लाभ (जिनमें उन पूंजीगत अस्तियों के विक्रय पर हुए लाभ भी सम्मिलित हैं, जिन पर आय-कर के लिए अवमूल्यन को अनुज्ञात नहीं किया गया है) (ii) भारत के बाहर स्थित किसी कारोबार के लाभ और तत्संबंधी प्राप्तियां (iii) भारत के बाहर विनिधानों से विदेशी बैंककारी कंपनियों की आय मद संख्या 4 का व्यय	राशि.....		
5.	मद संख्या 1, 2, 3 और 4 का सकल योग	राशि.....		
6.	निम्नलिखित की कटौती करें:- (क) पूंजीगत प्राप्तिओं और लाभ (जो उन आस्तियों के विक्रय से हुए लाभों में भिन्न हैं, जिनपर अवमूल्यन, आय-कर के लिए अनुज्ञात किया गया है।) (ख) भारत से बाहर स्थित किसी			पाद टिप्पण (2) देखें

	व्यवसाय के लाभ तथा तत्संबंधी प्राप्तियां (ग) भारत से बाहर विनिधानों से विदेशी बैंककारी कंपनियों की आय (घ) निम्नलिखित से भिन्न वे व्यय या हानियां (यदि कोई हो) जो प्रकाशित या प्रकटित आरक्षित में से प्रत्यव्रतः विकसित की गई हैं:- (i) पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत हानियां (जो उन पूंजीगत आस्तियों के विक्रय पर हुई हानियों से भिन्न है, जिन पर अवमूल्यन, आय-कर के लिए अनज्ञात नहीं किया गया है) (ii) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय की हानियां (ड.) विदेशी बैंककारी कंपनियों के मामले में, प्रधान कार्यालय के आनुपातिक प्रशासनिक (उपरिव्यय) जो भारतीय व्यवसाय के हिस्से में आना चाहिए। (च) पूर्व लेखा वर्षों के लिए संदत्त किसी भी प्रत्यक्ष कर के किसी आधिक्य का प्रतिदाय तथा पूर्व लेखावर्षों के लेखे बोनस, अवक्षयण या विकास रिबेट संबंधी कोई उपबंधित अधिमान रकम यदि वह लेखा में पुनः प्रविष्ट की गई है। (छ) बजट संबंधी अनुदनों के माध्यम से किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा समाप्ति किसी निगमित निकाय द्वारा या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संदत्त नकद साहायिकी, यदि कोई हि। मद संख्या 6 का योग -----			पाद टिप्पण (2) देखें पाद टिप्पण (2) देखें पाद टिप्पण (3) देखें पाद टिप्पण (2) देखें पाद टिप्पण (2) देखें
	राशि			
7.	बोनस के प्रयोजनों के लिए सकल लाभ (मद संख्यक 5(-)ऋण मद संख्या 6)		राशि	

स्पष्टीकरण: मद 3 की उपमद (ख) में, “अनुमोदित उपदान निधि” पद का वही अर्थ है जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में है।

	(ii) कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर या किसी कारण से उनके नियोजन की समाप्ति पर वास्तव में संदत्त। (ख) आय-कर के लिए अनुज्ञेय राशि के आधिक्य में चंदा/दान (ग) लेखा वर्ष के दौरान आय-कर अधिनियम की धारा 280घ के उपबंधों के अधीन कोई देय वार्षिकी या दी गई किसी वार्षिकी की संराशीकृत राशि (घ) पूंजीगत व्यय (वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय जो प्रत्यक्ष करों के संबंध में उस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञेय है, को छोड़कर) और पूंजीगत हानि (पूंजीगत परिसंपत्तियों के विक्रय, जिन पर आय-कर अथवा कृषिगत आय-कर के लिए मूल्य ह्रास की अनुमति है, को छोड़कर।) (ङ.) भारत के बाहर स्थित किसी व्यापार के संबंध में हानि अथवा व्यय मद संख्या 3 का योग्य----			
		रूपये.....		पाद टिप्पण (1) देखें
4.	निम्नलिखित से भिन्न वह आय, वे लाभ या अधिलाभ (यदि कोई हो) भी जोड़ दें, जो आरक्षित खाते में सीधे जमा किए गए हैं – (i) पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत लाभ (जिनमें उन पूंजीगत परिसंपत्तियों के विक्रय पर हुए लाभ भी सम्मिलित हैं, जिन पर आय-कर अथवा कृषिगत आय-कर के लिए अवमूल्यन अनुमेय नहीं है) (ii) भारत के बाहर स्थित किसी कारोबार के लाभ और तत्संबंधी प्राप्तियां			

	कार्यालय के आनुपाती प्रशासनिक (उपरिव्यय) जो भारतीय व्यवसाय के हिस्से में आना चाहिए। (च) पूर्व लेखा वर्षों के संदर्भ संदत्त किसी भी प्रत्यक्ष कर का प्रतिदाय तथा पूर्व लेखावर्षों में बोनस, अवक्षयण, कराधान या विकास रिबेट या विकास भत्ता संबंधी यदि कोई अधिमात्रिकरूपयेउपबंधित की गई है तो वह रूपयेलेखा में पुनः प्रवृष्टि की गई हो। (छ) नकद सहायिकी, यदि कोई हो, जिसे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सरकार ने या द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित किसी निगमित निकाय ने या किसी अन्य अभिकरण के बजट अनुदान के माध्यम से दी है, चाहे वह सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से दी गई हो और उसके आगम ऐसे प्रयोजनों के लिए अरक्षित हो। मद संख्या 6 का योग			पाद टिप्पण (3) देखें पाद टिप्पण (2) देखें
7.	बोनस के प्रयोजनों के लिए सकल लाभ (मद संख्यंक 5 में से मद संख्या 6 घटाकर जो आए)	रूपये.....	रूपये.....	

स्पष्टीकरण: मद 3 की उपमद (कक) में, “अनुमोदित उपदान निधि” पद का वही अर्थ है जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में है।

पद – टिप्पण

- (1) यदि वे और जिस सीमा तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।
- (2) यदि वे और जिस सीमा तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।
- (3) उस अनुपात में जो भारतीय सकल लाभ का (मद संख्या 7) (उस समेकित लाभ-हानि खाते के अनुसार जो केवल उपर्युक्त मद संख्या 2 में हो यथा समायोजित रूप में है) संकलित विश्व सकल लाभ से है।

अनुसूची घ

[नियम 25 देखें]

मद संख्या	नियोजक की श्रेणी	अतिरिक्त राशियां जिनकी कटौती की जानी है
(1)	(2)	(3)
1.	बैंकिंग कंपनी से भिन्न कंपनी	(i) उसके अधिमान प्राप्त शेयर पूंजी के संबंध में लेखा वर्ष के लिए संदेय लभांश जो ऐसी वास्तविक दर पर संशोधित हो, जिस पर ऐसे लभांश संदेय है; (ii) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसकी समादत्त साम्य शेयर पूंजी का 8.5 प्रतिशत;

		(iii) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसके तुलन पत्र में दर्शित उसकी आरक्षितियों का 6 प्रतिशत जिसके अंतर्गत पूर्व लेखा वर्ष से अग्रेणीत कोई लाभ शामिल है; परन्तु जहां नियोजक कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(42) के अर्थ में विदेशी कंपनी है, वहां इस मद के अधीन कुल रुपये जिसकी कटौती की जानी है, वे उस संकलित मूल्य पर 8.5 प्रतिशत होंगी, जो भारत में उस कंपनी की शुद्ध निर्धारित परिसंपत्तियों के संदर्भ में उसके चालू देयताओं की रुपये की (जो उस किसी रुपये से भिन्न है, जो चाहे तो उसके प्रधान कार्यालय द्वारा दिए गए किसी आदिदाय राशियां अन्यथा या कंपनी द्वारा अपने प्रधान कार्यालय को दिए किसी ब्याज की रुपये कंपनी द्वारा प्रधान कार्यालय को देय दर्शाई गई है) कटौती करने के पश्चात है।
2.	बैंकिंग कंपनी	(i) उसकी अधिमान प्राप्त अंशपूंजी की बचत लेखा वर्ष के लिए संदेय लाभांश के ऐसी दर पर संबंधित है, जिस पर ये लाभांश संदेय है। (ii) लेखा वर्ष के आरंभ पर यथाविद्यमान उसकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 7.5 प्रतिशत; (iii) उसके तुलना पत्र में लेखा वर्ष के प्रारंभ पर यथादर्शित उसकी आरक्षित (रिजर्व) का 5 प्रतिशत, जिसके अंतर्गत पूर्व लेखा वर्ष से अग्रेणीत कोई लाभ भी शामिल है। (iv) लेखा वर्ष की बाबत कोई राशि, जो उसके द्वारा - (क) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी आरक्षित निधि को अंतरित की गई है; अथवा (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या सूचना के अनुसार भारत में किन्हीं आरक्षितियों को अंतरित की गई है, उक्त दोनों में से जो भी अधिक हैं: परन्तु जहां बैंकिंग कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(42) के अर्थ में विदेशी कंपनी है, वहां इस मद के अधीन कटौती की जाने वाली रकम निम्नलिखित का योग होगी- (i) उसके अधिमान प्राप्त अंशधारियों को लेखा वर्ष के लिए ऐसी रकम पर जिसका उसकी कुल अधिमान प्राप्त अंश पूंजी से वहीं अनुपात है जो भारत में उसके कारोबारी निधियों का उसकी कुल विश्व कारोबारी निधियों से है, उसकी दर से संदेय लाभांश जिस पर ऐसे लाभांश संदेय हैं; (ii) इस रुपये का 7.5 प्रतिशत, जिसका उसकी कुल समादत्त साधारण अंशपूंजी से वहीं अनुपात है जो भारत में उसकी कुल कारोबारी निधियों का उसकी कुल विश्व कारोबारी निधियों से है; (iii) उस रकम का 5 प्रतिशत, जिसका उसकी कुल प्रकटित आरक्षितियों से वही अनुपात है जो भारत में उसकी कुल विश्व कारोबारी निधियों से है; (iv) कोई रुपये जो लेखा वर्ष के संबंध में उसके द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की जाती है और जो पूर्वोक्त उपबंध के अधीन इस प्रकार जमा किए जाने के लिए अपेक्षित रकम से अधिक नहीं हैं।

3.	निगम	(i) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसकी समादत्त पूंजी का 8.5 प्रतिशत; (ii) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसके कुल तुलन-पत्र में दर्शित उसकी आरक्षितियों का, यदि कोई हों, 6 प्रतिशत जिसके अंतर्गत पूर्व लेखा वर्ष से अग्रेनीत कोई लाभ भी है।
4.	सहकारी सोसायटी	(i) लेखा सोसायटी द्वारा अपने स्थापन में निहित उस पूंजी का 8.5 प्रतिशत, जो लेखा वर्ष प्रारंभ पर उसकी लेखा-बहियों से साक्ष्यित है; (ii) ऐसे रुपये जो लेखा वर्ष के संबंध में सहकारी सोसायटियों से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरक्षित निधि में अग्रेनीत की गई हो।
5.	कोई अन्य नियोजक जो पूर्वोक्त श्रेणियों में से किसी में नहीं आता	उसके द्वारा अपने प्रतिष्ठान में निवेश की गई पूंजी का 8.5 प्रतिशत जो लेखा वर्ष के प्रारंभ पर उसकी लेखा बहियों से यथा साक्ष्यित है: परन्तु जहां ऐसा नियोजक वह व्यक्ति है जिसपर आय-कर अधिनियम का अध्याय 22 लागू होता है, वहां उस अध्याय के उपबंधों के अधीन लेखा वर्ष के दौरान संदेय वार्षिक जमा राशि की भी कटौती की जाएगी: परन्तु यह भी कि जहां ऐसा नियोजक कोई फर्म है, वहां उस लेखा वर्ष के संबंध में उस प्रतिष्ठान से धारा 6 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अवमूल्यन की कटौती के उपरांत उसे व्युत्पन्न सकल लाभों के 25 प्रतिशत के बराबर रकम की भी कटौती उस प्रतिष्ठान के संचालन में भाग लेने वाले सब भागीदारों के पारिश्रमिक के रूप में की जाएगी किन्तु जहां भागीदारी करार चाहे वह मौखिक या लिखित हो, ऐसे किसी भागीदार को पारिश्रमिक के संदाय के लिए उपबंध कराता है, तथा- (i) जहां ऐसे भागीदारों को संदेय कुल पारिश्रमिक उक्त 25 प्रतिशत से कम है, वहां ऐसी राशि अड़तालीस हजार रुपये से अधिक न हो, जो ऐसे हरेक भागीदार को संदेय है, अथवा (ii) जहां ऐसे भागीदारों को संदेय कुल पारिश्रमिक उक्त 25 प्रतिशत से अधिक है वहां उतने प्रतिशत रुपये या ऐसे हर एक भागीदार को अड़तालीस हजार रुपये की दर से परिकलित रुपये में से, जो भी कम हो, उस रुपये की, परन्तुक के अधीन कटौती की जाएगी:अथवा परन्तु यह भी कि जहां ऐसा नियोजक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार है, वहां- (i) लेखा-वर्ष के संबंध में उस प्रतिष्ठान से ऐसे नियोजक को धारा-6 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अवमूल्यन की कटौती करने के बाद व्युत्पन्न सकल लाभ के 25 प्रतिशत के बराबर रकम की; अथवा (ii) अड़तालीस हजार रुपये की, उक्त दोनों में से जो भी कम हो, कटौती ऐसे नियोजक के पारिश्रमिक के रूप में की जाएगी।

स्पष्टीकरण: मद 3 की मद संख्या 1(iii), 2(iii) और 3(ii) में दी गई 'आरक्षितियों' अभिव्यक्ति के अंतर्गत कोई ऐसी राशि शामिल नहीं हैं जो-

- (i) किसी ऐसे प्रत्यक्ष कर के संदाय के, जो तुलन पत्र के अनुसार संदेय होगा;
- (ii) धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय किसी अवमूल्यन की पूर्ति के लिए;
- (iii) ऐसे लाभांशों के संदाय, जो घोषित किए गए हैं, लेकिन जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) इस स्पष्टीकरण के खण्ड (i) में निर्दिष्ट रूपसे अतिरिक्त ऐसी राशि जो किसी प्रत्यक्ष-कर के संदाय के प्रयोजन के लिए अलग रखी गई हैं, और

(ख) कोई ऐसी राशि, जो धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार इस राशि से अधिक राशि, जो किसी अवमूल्यन को पूरा करने के लिए अलग रखी गई है।

अनुसूची ड
[नियम 4(3) देखें]

क्रम सं.	अकुशल
1	बेलदार
2	ग्वाला
3	चरवाहा
4	क्लीनर (मोटर शेड, ट्रैक्टर, पशु-अहाता, एम.टी.)
5	चारा इकट्ठा करना
6	डेयरी कुली
7	मजदूर (बागवान, डेयरी में फूस के ढेर लगाना, सिंचाई, गोबर के ढेर लगाना, दूध दोहने का कक्ष, राशन कक्ष स्टोर, मलेरिया-रोधी, एम.आर.)
8	चालक (खच्चर, बैल, ऊँट, गध्रा)
9	ड्रेसर
10	चालक (बैल, खच्चर)
11	गड़ेरिया
12	डेयरी कामगार
13	(स्टोर मजदूर)
14	वाहक (पत्थर)
15	तोड़ना (दस्ती औजारों के इस्तेमाल से)
16	हैल्पर
17	संदेशवाहक (कार्यालय)
18	माली
19	सईस
20	फूस बाँधना और ले जाना
21	स्वीपर
22	गट्टर तोलना और ले जाना,
23	तुलाईकार (गट्टर, पल्ली)
24	पानी वाला,
25	सईस
26	ट्रॉली मैन

27	वाल्व कर्मी
28	पहरेदार,
29	सफेदी करने वाला,
30	लकड़हारा,
31	लकड़हारा (स्त्री)
32	बोरीमैन,
33	कोयला कर्मी
34	कंडेनसर,
35	परिचारक,
36	घासकाटने वाला,
37	मुच्छड़ जमादार,
38	कंडेनसर परिचारक,
39	शन्टर्स
40	टरनर,
41	बजरी फैलानेवाला,
42	कूटने वाली महिला,
43	बेल-महिला
44	चेन कर्मी,
45	बोट मैन,
46	बकेट मैन,
47	श्रमिक (बॉयलर, पशु-अहाता, खेती, सामान्य भार चढ़ाना-उतारना, बंडिंग, कार्टिंग-फर्टिलाइज़र, हार्वेस्टिंग, विविध बीज-अंकुरण, बीज बोना, छाजन, प्रत्यारोपण, खरपतवार की छँटाई)
48	क्लीनर (क्रैन, ट्रक, राख के गड्डों के लिए सुलगता कोयला),
49	कार्टमैन,
50	रखवाल (पुल),
51	वाहक (जल),
52	चौकीदार
53	कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला)
54	दफादार,
55	चालक (बैल, ऊंट, गधा, खच्चर),
56	फ्लैग मैन,
57	फ्लैगमैन (ब्लास्ट ट्रेन),
58	मशीनों पर काम न करने वाला खलासी
59	गैंगमैन,
60	गेटिंगमैन (स्थायी मार्ग),
61	हैंडर मैन, जम्पर मैन,
62	कमीन (महिला कामगार),
63	खलास,
64	पुल
65	इलेक्ट्रिकल,
66	मैरिन,
67	मोपलाह,
68	स्टोर,
69	स्टीम रोड,
70	शेयर,
71	रॉलर सर्वेक्षण,
72	श्रमिक (बगीचा),

73	मजदूर,
74	छिद्र काटनेवाला,
75	लॉरी प्रशिक्षु,
76	पेट्रोलमैन,
77	सर्चर,
78	सिग्नल मैन,
79	स्ट्राइकर,
80	वैक्स नियंत्रक,
81	क्लीनर
82	ड्रेसर/ड्रेसिंग मजदूर
83	लोडर
84	मजदूर (पुरुष/महिला)
85	संदेशवाहक (पुरुष/महिला)
86	ट्रेमर
87	रखवाल (कॉपर, क्रोमाइट और ग्रेफाइट खानों के अलावा जहाँ यह अर्धकुशल है)
88	कार्यालय चपरासी/चपरासी (बॉक्साइट खानों के अलावा
89	स्वीपर (पुरुष/महिला)
90	संवाहक
91	नंबर टेकर
92	ट्रॉली ट्राइपर
93	वाटर कैरियर
94	मृदा कटर
95	सर्वेक्षण खलासी
96	गेट मैन,
97	कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला)
98	विखण्डन भंडार
99	लैम्पमैन
100	बेलदार/बेलदार (कैंटीन)
101	कुली
102	चपरासी
103	रसोइये का सहायक
104	ऑफिस बॉय
105	खदान कामगार
106	जैली बनाने वाला
107	अधि भारित अपसारक
108	अपशिष्ट अपसारक मजदूर
109	उतारने वाला
110	उत्खनन श्रमिक
111	खोदने वाला
112	कसाई
113	परिचारक
114	लॉरी सहायक
115	सतही लोडर
116	लकड़हारा
117	सतही मुकर
118	भूमिगत मुकर
119	स्ट्राइकर (मोपलाह गैंग),

120	टॉल बॉय,
121	टाइल
122	लादने और उतारने में नियोजित व्यक्ति
123	किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले अकुशल प्रकृति के स्वीपिंग और क्लीनिंग तथा अन्य वर्गों में नियोजित व्यक्ति।

क्रम सं.	अर्धकुशल
1	सहायक (चौकीदार)
2	परिचारक (बुल-काल्विंग लाइन्स, चौकीदार, चाफ कटर, होस्टल, शुष्क स्टॉक, अनाज भंजक, पम्प, सीकलाइन,
3	अस्तबल, अहाता स्टॉक)
4	सहायक-नलसाज़
5	परिचारक
6	भिस्ति
7	ब्रान्डर
8	बुलमैन
9	बटरमैन
10	कोचमैन
11	मोची
12	खेतिहर
13	दफ्तरी
14	डिलीवरीमैन
15	धोबी
16	ड्रेसर
17	फायरमैन
18	ग्वाला
19	हैमरमैन
20	हैल्पर (लुहार)
21	हैल्पर
22	जमादार (स्टैण्ड)
23	जमादार
24	खलासी
25	माली वरिष्ठ
26	मैट/मिस्त्री
27	मज़दूर (शिक्षित)
28	नलबन्द
29	ऑयलमैन
30	हलवाला
31	वीटेकर्स
32	पर्यवेक्षक
33	छप्पर
34	वाल्वमैन
35	वाल्वमैन (वरिष्ठ)
36	टिन केबलें लगाने वाला वायरमैन
37	रसोइया
38	डेन्डी
39	फ्राश

40	आरी कामगार
41	हैल्पर (लॉको-क्रेन/ट्रक)
42	मांझी (बोटमैन)
43	बेल्चावाला
44	मुक्काडेम (धात्विक बुलडोज़र चालक खान विनियम, 1961 के अंतर्गत सक्षमता प्रमाण-पत्र के बिना)
45	भिस्ति (मुश्क के साथ)
46	बोटमैन (मुखिया)
47	ब्रेकर,
48	ब्रेकर (पत्थर, चट्टान, पहाड़ी पत्थर, पत्थर धातु)
49	कैनवीवर
50	चेनमैन (मुखिया)
51	चारपाई बुनकर
52	चेकर
53	क्रैकर
54	डॉलीमैन
55	सहायक
56	ड्रिलर
57	सुचालक (त्वचा)
58	उत्खनक
59	फेरोमैन
60	फायरमैन (ईंट भट्टा, वाष्प रोड रोलर)
61	द्वारपाल
62	घरामी
63	क्लासमैन
64	ग्रेटर
65	ग्रीजर-सह-फायरमैन
66	ग्राइन्डर
67	हैमरमैन
68	हैल्पर (कारीगर)
69	हैल्पर (आराकस)
70	कीमैन
71	खलासी (मुख्य पर्यवेक्षक, रिक्टर्स-मोपलाह गैंग, पर्यवेक्षी)
72	श्रमिक (पत्थर-काटना)
73	लास्कर
74	माली (मुखिया)
75	स्टॉकर्स और बॉयलरमैन
76	थूमबामैन (फावड़ा कामगार)
77	टिनडेल्ल्स
78	ट्रॉलीमैन (हैड मोटर)
79	फिटर (सहायक अर्ध-कुशल)
80	जमादार (अर्ध-कुशल)
81	मेट (पत्थर)
82	कसाब
83	खलासी (संरचनात्मक)
84	मसालची पी.एम. मेट्स
85	खनिक
86	अप्रशिक्षित मेट/खनन मेट/ धात्विक बुलडोज़र चालक खान विनियम, 1961 के अंतर्गत सक्षमता

	प्रमाण-पत्र के बिना मेट
87	बटलर/रसोइया
88	ब्रेकर (मशीनी उपकरणों के इस्तेमाल से)
89	शिशु-सदन आया/आया/अप्रशिक्षित शिशु-सदन परिचारक
90	सहायक ड्रिलर
91	ऑयलमैन/ऑयलर
92	चौकीदार/वॉचमैन
93	हैल्पर (राजमिस्त्री, बढई, लुहार)
94	टिन्डेल्लस
95	टोपाज़
96	टोपकार (बड़ा पत्थर भंजक)
97	ट्रॉली जमादार
98	विंचमैन
99	उपस्थिति-रखवाल
100	सहायक वायरमैन
101	मेट
102	मेट (लुहार, सड़क, बढई)
103	इंजिन ड्राइवर और/या फीडर
104	फिटर
105	गैंग
106	मजदूर राजमिस्त्री
107	स्थायी मार्ग
108	पम्प-चालक, टरनर)
109	मजदूर (हैवी-वेट)
110	चार्ज-मैन
111	मिस्त्री (मुखिया
112	मुकाडम
113	रात्रि-गार्ड
114	रनर (पोस्ट डाक)
115	ऑयलमैन
116	खदान कर्मी
117	खदान परिचारक
118	स्टॉनमैन
119	स्टॉकर
120	थैचर
121	पम्प परिचारक
122	बियरर
123	ब्रेकमैन
124	क्राउल्डरमैन
125	प्रयोगशाला सहायक
126	पॉइन्टसमैन सेनकम्मी
127	पत्थर खान तथा अर्ध-कुशल प्रकृति की किसी भी नाम से पुकारे जाने वाली श्रेणियाँ

क्रम सं.	कुशल
1	शिल्पकार (श्रेणी-II, III, IV)
2	लुहार

3	लुहार (श्रेणी II)
4	बॉयलरमैन
5	बढई
6	बढई (श्रेणी II) बढई-सह-लुहार
7	चौकीदार
8	चालक
9	चालक (इंजिन ट्रैक्टर, एम.टी. मोटर)
10	इलेक्ट्रीशियन
11	फिटर
12	राजमिस्त्री
13	राजमिस्त्री श्रेणी II
14	मशीन हैण्ड (श्रेणी-II, III, IV)
15	मशीनरमैन
16	मेट ग्रेड I (वरिष्ठ)
17	मैकेनिक
18	मिल्क राइटर
19	मिस्त्री (मुखिया)
20	मॉउलडर
21	मस्टर राइटर
22	प्रचालक (ट्यूबवेल)
23	पेन्टर
24	नलसाज़
25	वेलडर
26	पोशिशसाज़
27	वायरमैन,
28	चिपर
29	चिपर-सह-ग्राइन्डर
30	रसोइया (मुखिया)
31	ड्रिलर
32	ड्रिलर (कुआँ खोदना)
33	चालक (लोको/ट्रक)
34	इलेक्ट्रीशियन (सहायक)
35	मैकेनिक (ट्यूब-वेल)
36	मिस्त्री (स्टेल, ट्यूबवेल, टेलीफोन)
37	मीटर रीडर
38	मौसम अवलोकनकर्ता नवधानी
39	प्रचालक (बैचिंग संयंत्र, सिनेमा परियोजना, क्लैम्प शेल्फ, कम्प्रेसर, ग्रेन, डोरिक, डीज़ल इंजिन, डोज़र, ड्रेगलिंग ड्रिल डम्बर, उत्खनक, फॉर्क लिफ्ट जेनेरेटर, ग्रेडर, जैक हैमर एवं पेयमेन्ट ब्रेकर लोडर, पम्प, पाइल ड्राइविंग, स्क्रेपर, स्क्रीनिंग संयंत्र, शोवल, ट्रैक्टर, वाइब्रेटर, वेट बेचर, रेलवे गार्ड, मरम्मत (बैटरी))
40	शार्पर/स्लोटर
41	स्प्रेयर (अशाल्ट) स्टेशन मास्टर
42	पर्यवेक्षक (सिल्ट)
43	ट्रेड्स-मैन
44	ट्रेन जाँचकर्ता

45	टरनर/मिलर
46	टायरवल्केनाइजर
47	आराकस
48	आराकस (चयन ग्रेड श्रेणी II) सेरंग
49	सेरंगपाइल
50	बॉयलर सहित ड्राइविंग पेनटूम्स
51	शैप्समैन
52	पाली-प्रभारी
53	स्प्रेयरमैन
54	स्प्रेयरमैन (सड़क)
55	पत्थर काटनेवाला
56	पत्थर काटनेवाला (चयन ग्रेड ग्रेड II श्रेणी II)
57	स्टॉन चिस्लर
58	स्टॉन चिस्लर (श्रेणी II)
59	स्टॉन ब्लास्टर
60	उप-पर्यवेक्षक (निर्हक)
61	पर्यवेक्षक
62	पम्प चालक
63	पम्प चालक (चयन ग्रेड), ग्रेड II और III, श्रेणी II)
64	पम्प चालक (चयन ग्रेड, पी.ई., चालक,
65	पम्पमैन
66	पम्पमैन (सहायक)
67	नलसाज़
68	पोलीशर (स्प्रे के साथ) ग्रेड II
69	रतन मैन
70	रिविट कटर (सहायक)
71	रिविटर
72	रिविटर (कटर)
73	सड़क निरीक्षक ग्रेड II, रेलवे प्लेट लेयर
74	रोड बेन्डर
75	हॉलेज प्रचालक
76	औषधालय परिचारक
77	वर्क सकर
78	अभ्रक कटर ग्रेड-I
79	ड्रेसर ग्रेड-I अभ्रक
80	पर्यवेक्षी फायरमैन
81	खानों में केवल फायरमैन
82	कम्प्रेसर चालक
83	पम्प मैन चालक 96, अभ्रक खानों में ग्राइन्डर
84	पर्यवेक्षक (सहायक)
85	दर्जी
86	दर्जी (तोशक)
87	ट्रांसप्रेयर
88	टार मैन
89	लाइन मैन

90	टाइलर श्रेणी-II
91	दीवार (फर्श, छत)
92	टाइलर (चयन ग्रेड)
93	टिन-स्मिथ
94	टिन स्मिथ (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III श्रेणी II)
95	वैल सिन्कर
96	सहायक मिस्त्री
97	आर्मेचर वाइन्डर ग्रेड-II और III
98	भण्डारी
99	लुहार
100	लुहार (चयन ग्रेड, ग्रेड II, III श्रेणी II और III)
101	बॉयलरमैन
102	बॉयलरमैन ग्रेड II और III
103	फोरमैन ग्रेड II
104	कार्य (सहायक)
105	ब्रिकलेयर
106	ब्रिकलेयर (चयन ग्रेड II)
107	ब्लास्टर
108	चौकीदार (मुख्य)
109	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र)
110	बढ़ई
111	बढ़ई (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III श्रेणी I और III सहायक)
112	बी.आई.एम.मार्ग
113	केबिनेट बनाने वाला
114	केनमैन
115	सेलोटैक्स
116	कटर मेकर चार्गमेन, (द्वितीय श्रेणी और श्रेणी III, बढ़ई साधारण)
117	चेकदर (कनिष्ठ)
118	चिक निर्माता
119	चिक मैन (कनिष्ठ) कंक्रीट मिक्सजयोर मिक्शर
120	कंक्रीट मिक्सचर प्रचालक
121	मोची
122	कोरमेकर
123	चालक
124	चालक मोटर वाहन
125	मोटर वाहन चयन ग्रेड
126	मोटर लोरी
127	मोटर लोरी ग्रेड II
128	लोरी ग्रेड II
129	डीजल इंजन
130	डीजल इंजन ग्रेड II
131	मैकेनिकल रोड रोलर आईसी. और सीमेंट मिक्सर आदि.

132	रोड रोलर
133	रोड रोलर ड्राइवर
134	चालक इंजन स्टेटिक स्टोन क्रेशर), ट्रैक्टर बुल डोजर /, स्टीम रोड रोलर, वाटर पंप, मैकेनिकल सहायक, रोड रोलर, मैकेनिकल, स्टीम क्रेन, बुल डॉजर मैकेनिकल, सहित ट्रैक्टर, परिवहन, इंजन स्टेटिक और रोड रोलर बॉयलर परिचर
135	इंजन परिचालक(स्टोन कर्शर मैकेनिकल)
136	डिस्टेम्पर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन (ग्रेड II, श्रेणी II और श्रेणी III)
137	फिटर
138	फिटर चयन ग्रेड, ग्रेड II और III) श्रेणी II और III सहायक, पाइप श्रेणी II, पाइप लाइन बंद करने वाले लट्टे
139	सुदृढीकरण सह-मैकेनिक, मैकेनिक और प्लम्बर)
140	घरामी (प्रमुख)
141	घलेजियर (शीशा जडने वाला)
142	ब्लास्टिंग के लिए होल ड्रिलर
143	जोइनर
144	जोइनर (केबल, केबल ग्रेड II)
145	लाइनमैन (ग्रेड II, III, उच्च तनाव / निम्न तनाव)
146	राजमिस्त्री
147	राज मिस्त्री (चयन ग्रेड, ग्रेड II, III और कक्षा बी मिस्त्री)
148	स्टोन (स्टोन क्लास II, ईट वर्क, स्टोन वर्क)
149	ईट-परत
150	टाइल बिछाना
151	बी.आई.एम. मुक्कदम (प्रमुख)
152	पत्थर काटना
153	साधारण मैकेनिक
154	मैकेनिक
155	मैकेनिक (श्रेणी II, एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग ग्रेड II)
156	डीजल ग्रेड II
157	रोड रोलर ग्रेड II
158	सहायक (रेडियो)
159	राज मिस्त्री(घरामी)
160	मिस्त्री
161	मिस्त्री ग्रेड II, एयर कंडीशनिंग ग्रेड II, पी वे, सर्वे, संतरा कार्य)
162	राज मिस्त्री श्रेणी क
163	माउलडर
164	माउलडर (ईट, टाइल)
165	पेंटर

166	पेंटर (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III, श्रेणी II, सहायक लोटर और पालिशगर, पालिशगर, रफ)
167	लेपक
168	लेपक (राजमिस्त्री ग्रेड II)
169	पलम्बर
170	पलम्बर (चयन ग्रेड, श्रेणी II, सहायक लोटर और पालिशर, रफ),
171	लेपक
172	प्लास्टर (राजमिस्त्री ग्रेड II)
173	पलम्बर (चयन ग्रेड, श्रेणी- II, सहायक वरिष्ठ, जूनियर, मिस्त्री ग्रेड II)
174	पाइपलाइन मिस्त्री
175	पलम्बर – सह – फिटर
176	पालिशर
177	पालिशर(तल)
178	सिरधर लठे मन
179	भूविज्ञानी
180	ट्रेलर्स
181	टर्नर
182	गद्दी लगाने वाला
183	अपोलोस्टर (ग्रेड II और III)
184	पेंटर स्प्रे (श्रेणी II)
185	लकड़हारा
186	लकड़हारा चयन ग्रेड
187	लकड़हारा श्रेणी II
188	वर्क सिरकार
189	वेल्डर
190	एयरविनेह होलेज परिचालक
191	ऑटो इलेक्ट्रीशियन
192	पेंटर
193	लोहार
194	दर्जी
195	कंप्रेसर प्रचालक
196	ब्लास्टर -शॉट /फाइरेर
197	ड्राइवर
198	मुख्य रसोइया
199	चार्चमैन
200	बढ़ई
201	कंक्रीट मिक्सर प्रचालक

202	कंप्रेसर परिचर
203	एयर कंप्रेसर परिचर
204	ट्रैक्टर चालक
205	वाहन चालक
206	केमिस्ट और सहायक / केमिस्ट
207	सब-ओवरसियर (अयोग्य)
208	ड्रिलर
209	हैंडहोल ड्रिलर
210	ड्रिल मैकेनिक
211	ड्राइवर ऑटो
212	बिजली मिस्त्री
213	वायर लैस संचालक सहायक फोरमैन
214	फोरमैन
215	फिटर
216	फेरी चालक
217	जारीकर्ता लोको
218	सुपर फोरमैन
219	लहरा संचालक
220	आईएमसीई चालक
221	चालक
222	लोको ड्राइवर
223	लोडर प्रचालक
224	लारनमैन
225	मैकेनिक मशीनिस्ट /
226	राजमिस्त्री
227	प्रसाविका
228	टिन से मढ़नेवाला
229	सुपरवाइजरी मैकेनिक
230	केवल जिप्सम, बेराइट्स और रॉक फॉस्फेट में पंप परिचर
231	पंप ऑपरेटर / चालक
232	धात्विक खान/ विनियम, 1961 के तहत योग्यता प्रमाण पत्र के साथ खनन मेट
233	मिस्त्री
234	कुशल मजदूर
235	टर्नर
236	वरिष्ठ मैकेनिक
237	ड्राफ्टमैन

238	पर्यवेक्षक
239	ड्राफ्ट्समैन
240	वायरमैन
241	टिम्बरमैन / टिम्बर मिस्त्री इलैक्ट्र
242	स्टोन क्रेशर प्रचालक
243	क्रेशर प्रचालक
244	माउलडर
245	वेलडर
246	ऑपरेटर
247	कार्य मिस्त्री
248	इंजन चालक
249	खनन इंजन चालक ग्रेड -II
250	इंजनमैन
251	वाल्वमैन
252	कटर
253	विडिंग इंजन चालक ग्रेड -II
254	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र) / मुख्य चौकीदार
255	फावरा प्रचालक
256	लिम्को लोडर प्रचालक
257	भूतल पर्यवेक्षक
258	डोजर संचालक
259	कंप्रेसर ड्रिलर
260	डम्पर ट्रैक्टर ऑपरेटर सहित
261	बॉयलरमैन (प्रमाण-पत्र सहित)
262	मशीनरी परिचर
263	एयर कंडिशन मैकेनिक
264	क्रेच परिचर केवल मैग्नेसाइट, मैंगनीज और मीका माइन्स में
265	फावरा ऑपरेटर
266	पावर और पम्प हाउस प्रचालक
267	खान ग्रेड -I
268	ट्रैक्टर ऑपरेटर 80. टब रिपेयरर 81. खराद मिस्त्री
269	स्टेशनरी इंजन परिचर जेनरेटर ऑपरेटर 84. लोडिंग फोरमैन
270	डीजल मैकेनिक
271	फेरो प्रिंटर सह-अध्यक्ष
272	व्हाइट वाशिंग और कलर वाशिंगमैन
273	ऑपरेटर न्यूनेट्रिक उपकरण, ऑपरेटर (फिटर)

274	बोरमैन
275	बोरर
276	वायरमैन (ग्रेड II और III, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल)
277	ह्वाइट वोशर
278	व्हाइट वॉशर (चयन ग्रेड, द्वितीय श्रेणी)
279	वायरमैन
280	वेल्डर (श्रेणी II, ब्रिज कार्य)
281	वेल्डर गैस
282	मुक़्तम (धात्विक खान विनियम, 1961 के तहत क्षमता प्रमाण-पत्र)
283	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र) और अन्य वर्ग जो भी नाम से जो कुशल प्रकृति के हैं
284	सहायक (फार्म)
285	सहायक (कैशियर)
286	पुस्तकालय अध्यक्ष
287	टेलेक्स या टेलीफोन ऑपरेटर
288	हिंदी अनुवादक
289	टेलेक्स या टेलीफोन ऑपरेटर
290	हिंदी अनुवादक
291	लेखा लिपिक
292	लिपिक
293	कंप्यूटर / डाटा एंट्री ऑपरेटर
294	टेलीफोन ऑपरेटर, टाइपिस्ट
295	स्टोर पचिरर
296	एम. सी. लिपिक
297	मुंशी (मैट्रिकुलेट, गैर-मैट्रिकुलेट)
298	स्टोर लिपिक (मैट्रिकुलेट, गैर-मैट्रिकुलेट)
299	स्टोर कीपर
300	स्टोर कीपर ग्रेड I, ग्रेड II, (मैट्रिकुलेट)
301	टाइम कीपर
302	टाइम कीपर (मैट्रिकुलेट-मैट्रिकुलेट नॉन)
303	बुक कीपर
304	कार्य मुंशी
305	कार्य मुंशी (अधीनस्थ)
306	पत्रिका लिपिक
307	टेलर लिपिक
308	दुकान लिपिक
309	टैली लिपिक

310	स्टोर जारीकर्ता
311	औजार धारक
312	कंप्यूटर / डेटा एंट्री ऑपरेटर
313	रिकार्ड धारक
314	अन्वेषक
315	फाइल लिपिक
316	रजिस्टर कीपर
317	टाइम कीपर
318	लिपिक
319	मुंशी
320	टाइपिस्ट और अन्य श्रेणी जो भी नाम से पुकारते हैं जो लिपिक प्रकृति के हैं

क्र.सं.	अत्यधिक कुशल
1	आर्टिफिशियल श्रेणी ।
2	लोहार श्रेणी ।
3	बढ़ई श्रेणी ।
4	मशीन
5	हस्त श्रेणी - ।
6	राजमिस्त्री श्रेणी - ।
7	मैकेनिक (वरिष्ठ)
8	पेंटर (ग्रेड । श्रेणी । स्प्रें) प्लास्टर (राजमिस्त्री) श्रेणी -।
9	प्लम्बर (मुख्या, श्रेणी ।)
10	मिस्त्री ग्रेड ।
11	पालिशगर (स्प्रें ग्रेड ।)
12	रोड इंस्पेक्टर ग्रेड ।
13	लकड़हारा श्रेणी ।
14	स्टोन कटर ग्रेड ।
15	स्टोन कटर श्रेणी ।
16	स्टोन चिसलर श्रेणी ।
17	स्टोन मेसन श्रेणी स ।
18	उप-ओवरसियर (कुशल)
19	टिलर श्रेणी ।
20	टिनस्मिथ ग्रेड । और श्रेणी ।

21	गद्दी लगाने वाला ग्रेड ।
22	वार्निश करने वाला श्रेणी ।
23	वेल्डर-कम-फिटर और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक
24	वेल्डर (गैस) श्रेणी ।
25	व्हाइट वॉशर श्रेणी ।
26	वायरमैन ग्रेड I, श्रेणी ।
27	लकड़हारा श्रेणी ।
28	चक्की (उपकरण) ग्रेड ।
29	प्रचालक (बैचिंग प्लांट ग्रेड I)
30	लीडर ग्रेड ।
31	पाइल ड्राइविंग ग्रेड ।
32	पंप ग्रेड
33	स्क्रैपर ग्रेड ।
34	स्क्रीनिंग प्लांट ग्रेड ।
35	पंप ग्रेड ।
36	स्क्रैपर ग्रेड ।
37	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र)
38	आर्मेचर विंडर ग्रेड ।
39	लोहार ग्रेड । और श्रेणी ।
40	बॉयलरमैन ग्रेड ।
41	बॉयलरमैन फोरमैन ग्रेड ।
42	ईट परत श्रेणी ।
43	केबल जॉइनर ग्रेड ।
44	बढ़ई ग्रेड । और श्रेणी ।
45	सेलो कटर और डेकोरेटर
46	चार्जमैन श्रेणी ।
47	चेकर र) ड्राइवर लॉरी ग्रेडसीनिय)।
48	मोटर लॉरी ग्रेड ।
49	मोटर व्हीकल श्रेणी । और डीजल इंजन ग्रेड ।
50	रोड रोलर ग्रेड ।
51	पंप क्लास इलेक्ट्रीशियन ग्रेड । और श्रेणी । / ग्रेड ।

52	फिटर (ग्रेड I, श्रेणी I)
53	पाइप श्रेणी श्रेणी I (मुख्य)
54	फोरमैन (सहायक) लाइनमैन ग्रेड I राजमिस्त्री (कुशल ग्रेड I श्रेणी I)
55	मस्त रिग
56	मैकेनिक श्रेणी I और श्रेणी II
57	मैकेनिक (डीजल ग्रेड I और रोड रोलर ग्रेड I
58	एयरकंडिशनिंग ग्रेड I / श्रेणी I, मिस्त्री ग्रेड I
59	मिस्त्री एयरकंडिशनिंग ग्रेड I)
60	ओवरसियर
61	ओवरसियर (सीनियर और जूनियर)
62	ड्रैगलाइन ग्रेड I
63	ड्रिल ग्रेड I
64	डम्पर ग्रेड I
65	खुदाई ग्रेड I
66	कांटा लिफ्ट ग्रेड I
67	जेनरेटर ग्रेड I
68	रिगर ग्रेड I
69	रिगर ग्रेड II
70	चार्लर सिटर ग्रेड II
71	फावड़ा और ड्रैगलाइन ट्रैक्टर ग्रेड I
72	ट्रेड्समैन क्लास I
73	टर्नर मिलर ग्रेड II
74	कार्य सहायक) ग्रेड I)
75	कंपाउंडर
76	सर्वेयर
77	विंडिंग इंजन चालक
78	ऑपरेटर (भारी मिट्टी उठाने वाली बेलचा और बुलडोजर)
79	मुख्य मिस्त्री
80	डिप्लोमा सहित स्टाफ नर्स
81	जैक हैमर के अतिरिक्त ड्रिल ऑपरेटर
82	योग्यता प्रमाण पत्र सहित विद्युत पर्यवेक्षक

83	अंडरग्राउंड शिफ्ट बॉस
84	मुख्य मैकेनिक
85	योग्य और अनुभवी वेल्डर
86	मशीन टूल मैकेनिक
87	मैकेनिकल / प्लांट फोरमैन
88	खनन पर्यवेक्षक
89	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक / शिक्षक
90	मुख्य इलेक्ट्रीशियन
91	लेखापरीक्षक
92	7 साल की सेवा वाले स्टेनो
93	स्टोर प्रभारी
94	शिफ्ट प्रभारी
95	पर्यवेक्षक
96	वाँच और वार्ड के प्रभारी
97	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र)
99	क्रेन ग्रेड ।
100	डीजल इंजन ग्रेड ।
101	डोजर ग्रेड ।
102	क्लैंप शैल ग्रेड ।
103	कंप्रेसर ग्रेड ।
104	ग्रेडर ग्रेड ।
105	ट्रैक्टर ग्रेड ।
106	वाइब्रेटर ग्रेड ।
107	स्क्रीनिंग प्लांट ग्रेड ।
108	बेलचा ग्रेड ।
109	फावड़ा और ड्रैगलाइन
110	टायरवेलकुलर ग्रेड ।
111	सिक्योरिटी गार्ड (सशस्त्र) और अन्य श्रेणियों को जो भी नाम से बुलाया जाता है जो अत्यधिक कुशल प्रकृति के हैं।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2020

G.S.R. 432(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 67 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and in supersession of the –

- (i) Payment of Wages (Procedure) Rules, 1937;
- (ii) Payment of Wages (Nomination) Rules, 2009;
- (iii) Minimum Wages (Central) Rules, 1950;
- (iv) Minimum Wages (Central Advisory Board) Rules, 2011;
- (v) Ease of Compliance to Maintain Register under various Labour Laws Rules, 2017 to the extent these rules are made in exercise of the powers conferred by section 13 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), section 29 and section 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and section 26 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936) and applicable accordingly;
- (vi) Payment of Bonus Rules, 1975;
- (vii) Equal Remuneration Rules, 1976; and
- (viii) Central Advisory Committee on Equal Remuneration Rules, 1991;

made by the Central Government in exercise of the powers conferred by the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965) and the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), as the case may be, which are repealed by section 69 of the said Code on Wages, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified, as required by sub-section (1) of said section 67, for information of all persons likely to be affected thereby and the notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri M. A. Khan, Deputy Director(ma.khan15@nic.in), and Smt. Rachana Bolimera, Assistant Director (r.bolimera@nic.in), Government of India, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001.

Objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called the Code on Wages (Central) Rules, 2020.

(2) They extend to the whole of India.

(3) They shall come into force after the date of their final publication in the Official Gazette, on the date of the commencement of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).

2. Definitions.— In these rules, unless the subject or context otherwise requires, —

- (a) “authority” means the authority appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 45;
- (b) “appellate authority” means the appellate authority appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 49;
- (c) “appeal” means an appeal preferred under sub-section (1) of section 49;
- (d) “Board” means the Central Advisory Board constituted by the Central Government under sub-section (1) of section 42;
- (e) “Chairperson” means the chairperson of the Board;
- (f) “Code” means the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);

- (g) “committee” means a committee appointed by the Central Government under clause (a) of sub-section (1) of section 8;
- (h) “day” means a period of 24 hours beginning at mid-night;
- (i) “Form” means a form appended to these rules;
- (j) “highly skilled occupation” means an occupation which calls in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for his judgement or decision involved in the execution of such occupation;
- (k) “Inspector-cum-Facilitator” means a person appointed by the Central Government, by notification under sub-section (1) of section 51;
- (l) “member” means a member of the Board and includes its Chairperson;
- (m) “metropolitan area” means a compact area having a population of forty lakhs or more comprised in one or more districts;
- (n) “non-metropolitan area” means a compact area having a population of more than ten lakhs but less than forty lakhs, comprised in one or more districts;
- (o) “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;
- (p) “registered trade union” means a trade union registered under The Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926);
- (q) “rural area” means the area which is not the metropolitan area or non-metropolitan area;
- (r) “Schedule” means the schedule to these rules;
- (s) “section” means a section of the Code;
- (t) “semi-skilled occupation” means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;
- (u) “skilled occupation” means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiating and judgement;
- (v) “unskilled occupation” means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no further skills;
- (w) all other words and expressions used herein in these rules and not defined shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

CHAPTER II

Minimum wages

3. Manner of calculating the minimum rate of wages.—(1) for the purposes of sub-section (5) of section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria*, namely:-

- (I) the standard working class family which includes a spouse and two children apart from the earning worker; an equivalent of three adult consumption units;
- (II) A net intake of 2700 calories per day per consumption unit;
- (III) 66 meters cloth per year per standard working class family;
- (IV) Housing rent expenditure to constitute 10 per cent of food and clothing expenditure;
- (V) Fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum wage; and
- (VI) Expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies

* The provisions of the rule 3 are based on the criteria declared in the judgment in Workmen Represented by Secretary vs. Management of Reptakos Brett. And Co. Ltd. and Anr., **1992 AIR 504** pronounced by the Hon'ble Supreme Court and on the recommendations of the 15th Indian Labour Conference (ILC).

to constitute 25 percent of minimum wage;

(2) when the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored.

4. Norms for fixation of minimum rate of wages.—(1) While fixing the minimum rate of wages under section 6, the Central Government shall divide the concerned geographical area into three categories, that is to say the metropolitan area, non-metropolitan area and the rural area.

(2) The Central Government shall constitute a technical committee for the purpose of advising the Central Government in respect of skill categorization, which shall consist of the following members, namely:—

- (i) Chief Labour Commissioner (Central) - Chairperson;
- (ii) Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Labour and Employment dealing with the wages - Member;
- (iii) A representative from the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, dealing with skill development - Member;
- (iv) Director General of Employment, Government of India, Ministry of Labour and Employment - Member;
- (v) Two technical experts in wage determination as nominated by the Central Government - Members; and
- (vi) the Deputy Secretary to the Government of India, in the Ministry of Labour & Employment, dealing with the wages - Member Secretary.

(3) The Central Government shall, on the advice of the technical committee referred to in sub-rule (2), categorize the occupations of the employees into four categories that is to say unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, deleting or adding any entry in the categorization of such occupations specified in Schedule E.

(4) The technical committee referred in sub-rule (2) shall while advising the Central Government under sub-rule (3) take into account, to the possible extent, the national classification of occupation or national skills qualification frame work or other similar frame work for the time being formulated to identify occupations.

5. Time Interval for revision of dearness allowance.— Endeavour shall be made so that the cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities at concession rate shall be computed once before 1st April and then before 1st October in every year to revise the dearness allowance payable to the employees on the minimum wages.

6. Number of hours of work which shall constitute a normal working day.—(1) The normal working day under clause (a) of sub-section (1) of section 13 shall be comprised of eight hours of work and one or more intervals of rest which in total shall not exceed one hour.

(2) The working day of an employee shall be so arranged that inclusive of the intervals of rest, if any, it shall not spread over more than twelve hours on any day.

(3) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall, in the case of an employee employed in agricultural employment, be subject to such modifications as may, from time to time, be determined by the Central Government.

(4) Nothing in this rule shall be deemed to affect the provisions of the Factories Act, 1948 (63 of 1948).

7. Weekly day of rest.— (1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed a day of rest every week (hereinafter referred to as “the rest day”) which shall ordinarily be Sunday, but the employer may fix any other day of the week as the rest day for any employee or class of employees:

Provided that an employee shall be entitled for the rest day under this sub-rule if he has worked under the same employer for a continuous period of not less than six days:

Provided further that the employee shall be informed of the day fixed as the rest day and of any subsequent change in the rest day before the change is effected, by display of a notice to that effect in the place of employment at the place specified by the Inspector-cum-Facilitator in this behalf.

Explanation.— For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days specified in the first proviso to this sub-rule, any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work, a day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), and any leave or holiday, with or without

pay, granted by the employer to an employee in the period of six days immediately preceding the restday, shall be deemed to be days on which the employee has worked.

(2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the five days immediately before or after the restday:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the five days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted-

- (a) for rest day wages calculated at the rate applicable to the next preceding day; and
- (b) where he works on the rest day and has been given a substituted rest day,

then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

Provided that where-

- (i) the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty-six; or
- (ii) the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee,

then, no wages for the rest day shall be payable; and

- (iii) the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate;

and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, the Chief Labour Commissioner (Central) or the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having territorial jurisdiction may, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations.

Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, the wages for the rest day, or the substituted rest day, as the case may be, shall be such as the Central Government may, from time to time determine having regard to the minimum rate of wages fixed under the Code, in respect of the employment.

Explanation.-In this sub-rule 'next preceding day' means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favourable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favourable terms aforesaid.

Explanation.- For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night.

8. Night shifts.—Where an employee in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then, -

- (a) a rest day for the whole day for the purposes of rule 7 shall, in this case means a period of twenty-four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and
- (b) the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

9. The extent and conditions for the purposes of sub-section (2) of section 13.—In case of employees-

- (a) engaged in any emergency which could not have been foreseen or prevented;
- (b) engaged in work of the nature of preparatory or complementary work which must necessarily be

carried on outside the limits laid down for the general working in the employment concerned;

- (c) whose employment is essentially intermittent;
- (d) engaged in any work which for technical reasons has to be completed before the duty is over; and
- (e) engaged in a work which could not be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces;

the provisions of rules 6, 7 and 8 shall apply subject to the condition that –

- (i) the spread over of the hours of work of the employee shall not exceed 16 hours in any day; and
- (ii) the actual hours of work excluding the intervals of rest and the periods of inaction during which the employee may be on duty but is not called upon to display either physical activity or sustained attendance shall not exceed 9 hours in any day.

10. Longer wage period.—The longer wage period for the purposes of minimum rate of wages under section 14 shall be by the month.

CHAPTER III

Floor Wages

11. Manner of fixing floor wage.—(1) The Board shall be consulted by the Central Government for the purpose of fixing the floor wage under sub-section (1) of section 9, taking into account the minimum living standard including the food, clothing, housing and any other factors considered appropriate by the Central Government from time to time of the standard working class family as specified in clause (i) of sub-rule (1) of rule 3.

(2) The advice of the Board obtained in consultation under sub-rule (1) shall be circulated by the Central Government to all State Governments for consultation with them.

(3) The advice of the Board referred to in sub-rule (2) and the views of the State Governments received in consultation referred to in that sub-rule shall be considered before fixing the floor wage under sub-rule (1).

(4) The Central Government may revise the floor wage fixed under sub-rule (1) ordinarily at an interval not exceeding five years and undertake adjustment for variations in the cost of living periodically in consultation with the Board.

11A.—Circumstances under clause (ii) of the proviso to section 10.—An employee shall not be entitled to receive wages for a full normal working day under section 10, if he is not entitled to receive such wage under any other law for the time being in force.

12. Manner of consultation with State Governments.—The Central Government shall obtain the advice of the Board and consult such State Governments as it thinks necessary before fixing the floor wage under rule 11.

CHAPTER IV

PAYMENT OF WAGES

13. Recovery under sub-section (4) of section 18.—where the total deductions authorized under sub-section (2) of section 18 exceed fifty per cent. Of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case may be, in such installments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty per cent. Of the wages of the employee in that month.

14. the authority under sub-section (1) of section 19.—the deputy chief labour commissioner (central) having jurisdiction over the place of work of the employee concerned shall be the authority for the purposes of sub-section (1) of section 19.

15. The manner of exhibiting the notice under sub-section (2) of section 19.—a notice referred to in sub-section (2) of section 19 shall be displayed at the conspicuous places in the premises of the work place in which the employment is carried on, so that every concerned employee would be able easily to read the contents of the notice and a copy of the notice shall be sent to the inspector-cum-facilitator having jurisdiction.

16. The procedure under sub-section (3) of section 19.—the employer shall give an intimation in writing specifying therein the detailed particulars for obtaining the approval of the imposition of fine to the deputy chief labour commissioner (central) referred to in rule 14 who shall, before granting or refusing the approval, give opportunity of being heard to the employee and the employer concerned.

17. Intimation of deduction.—(1) Where an employer makes any deduction in pursuance of the proviso to sub-section (2) of section 20, he shall make intimation of such deduction to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction within 10 days from the date of such deduction explaining therein the reason of such deduction.

(2) The Inspector-cum-Facilitator shall, after receiving intimation under sub-rule (1), examine such intimation and if he finds that the explanation given therein is in contravention of any provision of the Code or the rules made there under, he shall initiate appropriate action under the Code against the employer.

18. Procedure for deduction under sub-section (2) of section 21.—Any employer desiring to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21 from the wages of an employee shall,—

- (i) explain to the employee personally and also in writing the damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or for loss of money for which he is required to account and how such damages or loss is directly attributable to the neglect or default of the employee; and
- (ii) thereafter, give the employee an opportunity to offer any explanation and deduction for any damages or loss, if made, shall be intimated to the employee within fifteen days from the date of such deduction.

19. Conditions regarding recovery of advance under section 23.—The recovery, as the case may be of,—

- (i) advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of section 23; or
- (ii) advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23,

shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer, so as any or all installments in a wage period shall not exceed fifty per cent. of the wages of the employee in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-I.

20. Deduction under section 24.—Deductions for recovery of loans granted for house building or other purposes approved by the Central Government, and the interest due in respect thereof shall be, subject to any direction made or circular issued by the Central Government from time to time regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest shall be payable thereon.

CHAPTER V

Payment of Bonus

21. Calculation of set on or set off for the sixth accounting year.—For the sixth accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (i) of sub-section (7) of section 26, in the manner illustrated in Schedule A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth and sixth accounting years.

22. Calculation of set on or set off for the seventh accounting year.—For the seventh accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (ii) of sub-section (7) of section 26, in the manner illustrated in Schedule A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth, sixth and seventh accounting years.

23. Computation of gross profits under clause (a) of section 32.—The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year shall in the case of banking company, be calculated in the manner specified in Schedule B.

24. Computation of gross profits under clause (b) of section 32.—The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year in a case other than banking company, be calculated in the manner specified in Schedule C.

25. Deduction of further sums under clause (c) of section 34.—The further sums as are specified in respect of the employer in Schedule D shall be deducted from the gross profit as prior charges under clause (c) of section 34.

26. Manner of carrying forward under sub-section (1) of section 36.—Where for any accounting year, the allocable surplus exceeds the amount of maximum bonus payable to the employees in the establishment under section 26, then, the excess shall, subject to a limit of twenty per cent. of the total salary or wage of the employees employed in the establishment in that accounting year, be carried forward for being set on in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year to be utilised for the purpose of payment of bonus in such manner as illustrated in Schedule A.

27. Manner of carrying forward under sub-section (2) of section 36.- Where for any accounting year, there is no available surplus or the allocable surplus in respect of that year falls short of the amount of minimum bonus payable to the employees in the establishment under section 26, and there is no amount or sufficient amount carried forward and set on under rule 26 which could be utilized for the purpose of payment of the minimum bonus, then, such minimum amount or the deficiency, as the case may be, shall be carried forward for being set off in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year in such manner illustrated in Schedule A.

CHAPTER VI

Central Advisory Board

A. Procedure of Central Advisory Board under sub-section (10) of section 42

28. Constitution of the Board.-(1) The Board shall consist of the persons to be nominated by the Central Government representing employers and employees as specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 42 and the independent persons and representatives of the State Governments as specified in clauses (c) and (d) of that sub-section.

(2) The persons representing employers as referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 42 shall be twelve and the persons representing employees referred to in clause (b) of that sub-section shall also be twelve.

(3) The independent persons specified in clause (c) of sub-section (1) of section 42 to be nominated by the Central Government shall consist of the following, namely:-

- (i) the Chairperson;
- (ii) two Members of Parliament;
- (iii) four memberseach of whom,shall be a professional in the field of wages and labour related issues;
- (iv) one member who is or has been a presiding officer of an Industrial Tribunal constituted by the Central Government under section 7A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947); and
- (v) two members, each of whom shall be the Chairperson of such State Advisory Board referred to in sub-section (4) of section 42, to the extent possible, has been taken in rotation from the States.

(4) The five representatives of the State Governments referred to in clause (d) of section 42 shall each be the Principal Secretary or Secretary or Commissioner of the State Labour Department of such States as the Central Government may determine from time to time on rotation basis.

(5) The Central Government shall, while nominating the members of the Board, take into account that the independent members under sub-rule (2) shall not exceed one-third of the total members of the Board and one-third of the members of the Board shall be women.

29. Additional functions of the Board.- In addition to the functions specified in sub-section (3) of section 42, the Board on reference by the Central Government advise that Government on the issue relating to the fixation of minimum wages in respect of-

- (i) working journalists as defined in clause (f) of section 2 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act,1955 (45 of 1955); and
- (ii) sales promotion employees as defined in clause (d) of section 2 of the Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (11 of 1976).

30. Meeting of the Board. - The Chairperson may, subject to the provisions of rule 32, call a meeting of the Board,at any time he thinks fit:

Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of the receipt of such requisition.

31. Notice of meetings. - The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member by registered post and electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting:

Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may be given to every member.

32. Functions of Chairperson. – The Chairperson shall-

- (i) preside at the meetings of the Board:

Provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside at such meeting;

- (ii) decide agenda of each meeting of the Board;
- (iii) where in the meeting of the Board, if any issue has to be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.

33. Quorum. - No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of the members and at least one representative member each of both the employers and an employee are present:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the original meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members present:

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or by a Registered post.

34. Disposal of business of the Board.- All business of the Board shall be considered at a meeting of the Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

35. Method of voting.- Voting in the Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.**36. Proceedings of the meetings.**- (1) The proceedings of each meeting of the Board showing inter alia the names of the members present thereat shall be forwarded to each member and to the Central Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

37. Summoning of witnesses and production of documents.- (1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

38. Appointment of the committees.- The Central Government may constitute as many committee under clause (a) of sub-section (1) of section 8 as it considers necessary for the purposes specified in that clause.**B. Terms of office of members of the Board under sub-section (11) of section 42****39. Term of office of members of the Board.**-(1)The term of office of the Chairperson or a member, as the case may be, shall be normally two years commencing from the date of his appointment or nomination, as the case may be, under sub-section (1) of section 42:

Provided that such Chairperson or a member shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until his successor is appointed or nominated, as the case may be.

(2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), and (3), the members of the Board shall hold office during the pleasure of the Central Government.

40. Travelling allowance.—The Chairman and every member of the Board, shall be entitled to draw travelling and halting allowance for any journey performed by him in connection with his duties at the rates and subject to the conditions applicable to a Group A officer of the Central Government.

41. Officers and Staff.—The Central Government may provide a Secretary not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, other officers and staff to the Board, as it may think necessary for the functioning of the Board.

42. Eligibility for re-nomination of the members of the Board.—An outgoing member shall be eligible for re-nomination for the membership of the Board for not more than total two terms.

43. Resignation of the Chairperson and other members of the Board.—(1) A member of the Board, other than the Chairperson, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his membership and the Chairperson may resign by a letter addressed to the Central Government.

(2) A resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of 30 days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the Central Government immediately and the Central Government shall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

44. Cessation of membership.—If a member of the Board, fails to attend three consecutive meetings, without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.

45. Disqualification.—(1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Board—

- (i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or
- (ii) if he is an un-discharged insolvent; or
- (iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the Central Government thereon shall be final.

CHAPTER VII

PAYMENT OF DUES, CLAIMS, etc.

46. Payment under clause (a) of sub-section (1) of section 44.—Where any amount payable to an employee under the Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction, who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him.

47. Deposit of the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44.—(1) Where any amount payable to an employee under this Code remains undisbursed because either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of six months from the date the amount had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months.

(2) The amount referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer with the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction through bank transfer or through a crossed demand draft obtained from any scheduled bank in India drawn in favour of such Deputy Chief Labour Commissioner (Central).

48. Manner of dealing with the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44.—(1) The amount referred to in sub-rule (1) of rule 47 (hereinafter in this rule referred to as the amount) deposited with the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction shall remain with him and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a scheduled bank.

(2) The Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction will exhibit, as soon as may be possible, a notice containing such particulars regarding the amount as the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and also publish such notice in any

two newspapers being circulating in the language commonly understood in the area in which undisbursed wages were earned.

(3) Subject to the provision of sub-rule (4), the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favour such Deputy Labour Commissioner (Central) has decided, after giving the opportunity of being heard, the amount to be paid.

(4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of seven years, the same shall be dealt within the manner as directed by the Central Government from time to time in this behalf.

CHAPTER VIII

FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

49. The form of a single application. – A single application, may be filed under sub-section (5) of section 45 in Form-II along with documents specified in such Form.

50. Appeal.– Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub-section (2) of section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of section 49 in Form-III, along with documents mentioned by the appellant in such Form, to the appellate authority having jurisdiction.

51. Form of register, etc.–(1) all fines and all realizations thereof referred to in sub-section (8) of section 19 shall be recorded in a register to be kept by the employer in form – i appended to these rules, electronically or otherwise and the authority referred to in said sub-section (8) shall be the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction.

(2) All deductions and all realizations referred to in sub-section (3) of section 21 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form- I appended to these rules, electronically or otherwise.

(3) Every employer of an establishment to which the Code applies shall maintain registers under sub-section (1) of section 50 in Form I and Form IV, electronically or otherwise.

52. Wage slip.– Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees in Form V under sub-section (3) of section 50 on or before payment of wages.

53. Manner of holding enquiry under sub-section (1) of section 53.–(1) When a complaint is filed before the officer appointed under sub-section (1) of section 53 (hereinafter in this rule referred to as the officer) in respect of the offences referred to in said sub-section either by an officer authorized for such purpose by the Central Government or by an employee aggrieved or a registered trade union registered under the Trade Unions Act, 1926 or an Inspector-cum-Facilitator, the officer, after considering such evidences as produced before him by the complainant, is of the opinion that an offence has been committed, shall issue summons to the offender on the address specified in the complaint fixing a date for his appearance .

(2) If the offender to whom the summons has been issued under sub rule (1) appears or is produced before the officer, he shall explain the offence complained against him and if the offender pleads guilty, the officer shall impose penalty on him in accordance with the provisions of the Code and when the offender does not plead guilty, the officer shall take evidence of the witnesses produced by the complainant on oath and provide opportunity of cross examination of the witnesses so produced . The officer shall record the statement of the witnesses on oath and in cross examination in writing and take the documentary evidence on record.

(3) The officer shall, after the complainant's evidence is complete, provide opportunity of defence to the accused person and the witnesses produced by the accused shall be cross examined after their statements on oath by the complainant and documentary evidence in defence shall be taken on record by the officer.

(4) The officer shall after hearing the parties and considering the evidences both oral and documentary decide the complaint in accordance with the provisions of the Code.

54. The manner of imposing fine under sub-section (1) of section 56.–(1) An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 may make an application in Form VI electronically or otherwise to the Gazetted Officer notified under said sub-section (1).

(2) The Gazetted Officer referred to in sub-rule (1), shall, on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable and the accused person agrees for the composition, compromise the offence for a sum of fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within the time specified in the order of composition issued by such officer.

(3) Where the offence has been compromised under sub-rule (2) after the institution of the prosecution, then, the officer shall send a copy of such order made by him for intimation to the officer referred to in sub-section (1) of section 53 for needful action under sub-section (6) of section 56.

CHAPTER IX MISCELLANEOUS

55. Timely Payment of Wages.—Where the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable to him or it, as the case may be, before the date of payment of wages so that payment of wages to the employees shall be made positively in accordance with the provisions of Section 17.

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression “firm” shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932).

56. Technical Committee for working Journalist.—The Central Government may, for the purpose of fixing minimum wages under the code for the working journalist as defined in clause (f) of section 2 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), appoint a technical advisory committee under clause (a) of sub-section (1) of section 8 to recommend the Central Government in respect of such fixation.

57. Responsibility for payment of minimum bonus.—Where in an establishment, the employees are employed through contractor and the contractor fails to pay minimum bonus to them under section 26, then, the company or firm or association or other person as referred to in the proviso to section 43 shall, on the written information of such failure, given by the employees or any registered trade union or unions of which the employees are members and on confirming such failure, pay such minimum bonus to the employees.

58. Inspection scheme.—(1) For the purposes of the Code and these rules, there shall be formulated an inspection scheme by the Chief Labour Commissioner (Central) with the approval of the Central Government.

(2) In the inspection scheme referred to in sub-rule (1), apart from other structural facts, a number shall be specified in the scheme for each Inspector-cum-Facilitator and establishment.

[F. No. S-32017/01/2019-WC]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

FORM-I

[See rule-19 and rule-51(1), (2) and (3)]

Register of Wages, Overtime, Fine, Deduction for damage and Loss

Name of the Establishment:

Name of the Employer:

Name of the Owner:

PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN):

Sr. No. in Employee Register	Name of the employee	Designation / Department	Duration of Payment of Wages (Monthly/Fortnightly /Weekly/Daily/Piece rated)	Wage Period From-To	Total no. of days worked during the period	Total overtime (hours worked or production in case of piece workers)	Rates of wages		
							Basic	DA	Allowances
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Overtime earning	Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	Amount of fine imposed	Damage or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	Amount of deduction from wages	Total amount of wages paid	Date of Payment	Attendance	
							Date	Signature
11	12	13	14	15	16	17	18	19

FORM-II

[See rule 49]

[SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45]

BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON WAGES, 2019 (29 OF 2019)

FOR..... AREA.....

Application No.....of 20.....

Between ABC and (State the number).....other..... Applicant

(Through employees concerned or registered trade union or Inspector- cum- Facilitator

Address.....

And

XYZ.....

Address.....

The application states as follows:

(1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed fromto..... as.....(category) in.....(establishment) Shri/M/s.....engaged in(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

(2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(l) of the Code on Wages, 2019.

(3) (a)The applicant(s) has/ have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by Rs.... Per day for the period(s) from.....to.....

(b) The applicant(s) has/ have not been paid wages at Rs..... Per day for the weekly days of rest from.....to...

(c) The applicant(s) has/ have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from.....to....

(d) The applicant(s) has/have not been paid wages for period fromto.....

(e) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

(f) The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year

(4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought byhim/ them on each amount as under:

(a) Rs.....

(b) Rs.....

(c) Rs.....

Total Rs.....

(5) The applicant(s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for;

(a) payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid,

(b) payment of remuneration for the days of rest

(c) payment of wages at the overtime rates,

(d) compensation amounting to Rs.

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated.....

Signature or thumb-impression of the employed person(s), or official of a registered trade union duly authorized or Inspector- cum- Facilitator.

Note: The applicant(s), if required, may append annexures containing details, with this application.

FORM III

(See rule 50)

Appeal under Section 49(1) of the Code on Wages, 2019

Before The Appellate Authority under the Code on Wages, 2019

A.B.C

Address.....APPELLANT

Vs.

C.D.E.

Address..... RESPONDENT

DETAILS OF APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal is made :

Number and date :

The authority who has passed the impugned order:

Amount awarded:

Compensation awarded , if any :

2. Facts of the case :

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact).

3. Grounds for appeal :

4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority:

The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

5. Reliefs sought :

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s) :—

[Specify below the relief(s) sought]

6. List of enclosures:

1.

2.

3.

4.

.....

Date :

Place :

Signature of the appellant.

For office use

Date of filing

or

Date of receipt by post

Registration No.

Authorized Signatory

FORM IV

[See rule 51(3)]

EMPLOYEE REGISTER

Name of the Establishment :

Name of the Employer:

Name of the Owner :

PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN):

Sl. No.	Employee Code	Name	Surname	Gender	Father's / Spouse Name	Date of Birth	Nationality	Education Level	Date of Joining	Designation	Category (HS/S/SS/US)*	Type of Employment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Mobile No.	UAN	PAN	ESIC IP No.	AADHAAR	Bank A/c Number	Bank	Branch (IFSC)	Present Address	Permanent Address
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Service Book No.	Date of Exit	Reason for Exit	Mark of Identification	Photo	Specimen Signature/Thumb Impression	Remarks
24	25	26	27	28	29	30

*(Highly Skilled/Skilled/Semi skilled/Unskilled)

FORM V

[See rule 52]

WAGE SLIP

Date of issue:

Name of the Establishment..... Address..... Period.....

- [illegible]

Employer / Pay-in-charge signature

FORM VI

[See rule 54]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF OFFENCE

1. Name of applicant :
2. Father's / Spouse name :
3. Address of the applicant :
4. Particulars of the offence:
.....
.....
5. Section of the Code under which the offence is committed : :.....
6. Maximum fine provided for the offence under the Code :.....
7. Whether prosecution against the applicant is pending or not
8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence.
If yes, then, full details of the prior offence.
.....
.....
.....

9. Any other information which the applicant desires to provide

.....

Dated:

Applicant
 (Name and signature)

Schedule A**[See rules 21, 22, 26 and 27]**

In this Schedule, the total amount of bonus equal to 8.33 per cent of the annual salary or wage payable to all the employees is assumed to be Rs. 1,04,167. Accordingly, the maximum bonus to which all the employees are entitled to be paid (twenty per cent of the annual salary or wage of all the employees) would be Rs. 2,50,000.

Year	Amount equal to sixty per cent. or sixty-seven per cent., as the case may be, of available surplus allocable as bonus	Amount payable as bonus	Set on or Set off of the year carried forward	Total set on or set off carried forward	
1	2	3	4	5	6
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Of (year)
1.	1,04,167	1,04,167**	Nil	Nil	
2.	6,35,000	2,50,000*	Set on 2,50,000*	Set on 2,50,000*	(2)
3.	2,20,000	2,50,000* (inclusive of 30,000 from year-2)	Nil	Set on 2,20,000	(2)
4.	3,75,000	2,50,000*	Set on 1,25,000	Set on 2,20,000 1,25,000	(2) (4)
5.	1,40,000	2,50,000* (inclusive of 1,10,000 from year-2)	Nil	Set on 1,10,000 1,25,000	(2) (4)
6.	3,10,000	2,50,000*	Set on 60,000	Set on Nil + 1,25,000 60,000	(2) (4) (6)
7.	1,00,000	2,50,000* (inclusive of 1,25,000 from year-4 and 25,000 from year-6)	Nil	Set on 35,000	(6)
8.	Nil	1,04,167**(inclusive of 35,000 from year-6)	Set off	Set off	

	(due to loss)		69,167	69,167	(8)
9.	10,000	1,04,167**	Set off 94,167	Set off 69,167 94,167	(8) (9)
10.	2,15,000	1,04,167** (after setting off 69,167 from year-8 and 41,666 from year-9)	Nil	Set off 52,501	(9)

Notes:-

* Maximum.

+ The balance of Rs. 1,10,000 set on from year-2 lapses.

** Minimum

Schedule B**COMPUTATION OF GROSS PROFITS**

[See rule 23]

Accounting year ending

Item No.	Particulars	Amount of sub-Items	Amount of main Items	Remarks
		Rs.	Rs.	
*1.	Net Profit as shown in the Profit and Loss Account after making usual and necessary provisions.			
2.	Add back provision for: (a) Bonus to employees (b) Depreciation (c) Development Rebate Reserve (d) Any other reserves Total of Item No.2.....	Rs.....		See foot-note (1) See foot-note (1)
3.	Add back also: (a) Bonus paid to employees in respect of previous accounting years. (b) The amount debited in respect of gratuity paid or payable to employees in excess of the aggregate of – (i) the amount, if any, paid to, or provided for payment to, an approved gratuity fund; and (ii) the amount actually paid to employees on their retirement or on termination of their employment for any reason. (c) Donations in excess of the			See foot-note (1) See foot-note (1)

	amount admissible for income-tax . (d) Capital expenditure (other than capital expenditure on scientific research which is allowed as a deduction under any law for the time being in force relating to direct taxes) and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has been allowed for income tax). (e) Any amount certified by the Reserve Bank of India in terms of sub-section (2) of section 34A of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949). (f) Losses of, or expenditure relating to, any business situated outside India. Total of Item No.3.....	Rs.....		
4.	Add also income, profits or gains (if any) credited directly to published or disclosed reserves, other than- (i) capital receipts and capital profits (including profits on the sale of capital assets on such depreciation has not been allowed for income-tax); (ii) profits of, and receipts relating to , any business situated outside India; (iii) income of foreign banking companies from investment outside India. Net total of Item No.4.....	Rs.....		
5.	Total of Item Nos.1, 2, 3 and 4...	Rs.....		
6.	Deduct : (a) Capital receipts and capital profits (other than profits on the sale of assets on which depreciation has been allowed for income-tax). (b) Profits of, and receipts relating to any business situated outside India. (c) Income of foreign banking companies from investments outside India . (d) Expenditure or losses (if any) debited directly to			See foot-note (2) See foot-note (2) See foot-note (2)

	published or disclosed reserves, other than – (i) capital expenditure and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has not been allowed for income-tax); (ii) losses of any business situated outside India. (e) In the case of foreign banking companies proportionate administrative (overhead) expenses of head-office allocable to Indian business. (f) Refund of any excess direct tax paid for previous accounting years and excess provision if any of previous accounting years, relating to bonus, depreciation or development rebate, if written back. (g) Cash subsidy, if any, given by the government or by anybody corporate established by any law for the time being in force or by any other agency through budgetary grants, whether given directly or through any agency for specified purposes and the proceeds of which are reserved for such purposes . Total of Item No. 6	Rs.....		See foot-note (3) See foot-note (2) See foot-note (2)
7.	Gross profits for purposes of bonus (Item No. 5 minus Item No. 6)		Rs.....	

Explanation: In sub-item (b) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause (5) of section 2 of the Income Tax Act, 1961.

* Where the profit subject to taxation is shown in the Profit and Loss account and the provision made for taxes on income is shown, the actual provision for taxes on income shall be deducted from the profit.

Foot-notes:-

(1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account.

(2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account.

(3) In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated profit and loss account adjusted as in Item No. 2 above only)]

[illegible]

	tax.). (e) Losses of , or expenditure relating to, any business situated outside India. Total of Item No.3.....	Rs.....		
4.	Add also income, profits or gains (if any) credited directly to reserves, other than- (i) capital receipts and capital profits (including profits on the sale of capital assets on which depreciation has not been allowed for income-tax or agricultural income-tax); (ii) profits of, and receipts relating to, any business situated outside India; (iii) income of foreign concerns from investments outside India. Net total of Item No.4.....	Rs.....		
5.	Total of Item Nos. 1, 2, 3 and 4...	Rs.....		
6.	Deduct : (a) Capital receipts and capital profits (other than profits on the sale of assets on which depreciation has been allowed for income-tax or agricultural income-tax). (b) Profits of, and receipts relating to, any business situated outside India. (c) Income of foreign concerns from investment outside India. (d) Expenditure or losses (if any) debited directly to reserves, other than- (i) capital expenditure and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has not been allowed for income-tax ; or agricultural income-tax; (ii) losses of any business situated outside India. (e) In the case of foreign concerns proportionate administrative (overhead) expenses of head office allocable to Indian business. (f) Refund of any direct tax paid for previous accounting years and excess provision, if any, of previous accounting years relating to bonus, depreciation, taxation or development rebate or development allowance, if written back.			See foot-note (2) See foot-note (2) See foot-note (2) See foot-note (3) See-foot-note (2)

	(g) Cash subsidy, if any, given by the government or by any body corporate established by any law for the time being in force or by any other agency through budgetary grants, whether given directly or through any agency for specified purposes and the proceeds of which are reserved for such purposes. Total of Item No.6	Rs.....		
7.	Gross Profits for purposes of bonus (Item No.5 minus Item No.6)	Rs.....		

Explanation: In sub-item (aa) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause (5) of section 2 of the Income Tax Act, 1961.

Foot-notes:-

(1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account.

(2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account.

(3) In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated Profit and Loss Account, adjusted as in Item No. 2 above only).

Schedule D

[See rule 25]

Item No.	Category of employer	Further sums to be deducted
(1)	(2)	(3)
1.	Company, other than a banking company.	(i) The dividends payable on its preference share capital for the accounting year calculated at the actual rate at which such dividends are payable; (ii) 8.5 percent of its paid up equity share capital as at the commencement of the accounting year; (iii) 6 percent of its reserves shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year : Provided that where the employer is a foreign company within the meaning of section 2 (42) of the Companies Act ,2013 (18 of 2013) , the total amount to be deducted under this item shall be 8.5 percent on the aggregate of the value of the net fixed assets and the current assets of the company in India after deducting the amount of its current liabilities (other than any amount shown as payable by the company to its Head Office whether towards any advance made by the Head Office or otherwise or any interest paid by the company to its Head Office) in India.
2.	Banking company	(i) The dividends payable on its preference share capital for the accounting year calculated at the rate at which such dividends are payable ; (ii) 7.5 per cent of its paid up equity share capital as at the commencement of the accounting year ; (iii) 5 per cent of its reserves shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year; (iv) any sum which, in respect of the accounting year, is transferred by it- (a) to a reserve fund under sub-section (1) of section 17 of the Banking

		Regulation Act, 1949 (10 of 1949); or (b) to any reserves in India in pursuance of any direction or advice given by the Reserve Bank of India, whichever is higher: Provided that where the banking company is a foreign company within the meaning of section 2 (42) of the Companies Act , 2013 (18 of 2013), the amount to be deducted under this item shall be the aggregate of- (i) the dividends payable to its preference shareholders for the accounting year at the rate at which such dividends are payable on such amount as bears the same proportion to its total preference share capital as its total working funds in India bear to its total world working funds; (ii) 7.5 per cent of such amount as bears the same proportion to its total paid up equity share capital as its total working funds in India bear to its total working funds. (iii) 5 per cent of such amount as bears the same proportion to its total disclosed reserves as its total working funds in India bear to its total world working funds; (iv) any sum which, in respect of the accounting year, is deposited by it with the Reserve Bank of India under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) , not exceeding the amount required under the aforesaid provision to be so deposited.]
3.	Corporation	(i) 8.5 per cent of its paid up capital as at the commencement of the accounting year; (ii) 6 per cent of its reserves, if any, shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year.
4.	Co-operative society	(i) 8.5 per cent of the capital invested by such society in its establishment as evidenced from its books of accounts at the commencement of the accounting year; (ii) such sums as has been carried forward in respect of the accounting year to a reserve fund under any law relating to co-operative societies for the time being in force.
5.	Any other employer not falling under any of the aforesaid categories	8.5 per cent of the capital invested by him in his establishment as evidenced from his books of accounts at the commencement of the accounting year: Provided that where such employer is a person to whom Chapter XXII-A of the income Tax Act applies , the annuity deposit payable by him under the provisions of that Chapter during the accounting year shall also be deducted: Provided further that where such employer is a firm, an amount equal to 25 per cent of the gross profits derived by it from the establishment in respect of the accounting year after deducting depreciation in accordance with the provisions of clause (a) of section 6 by way of remuneration to all the partners taking part in the conduct of business of the establishment shall also be deducted, but where the partnership agreement, whether oral or written, provides for the payment of remuneration to any such partner, and – (i) the total remuneration payable to all such partners is less than the said 25 per cent the amount payable, subject to a maximum of forty-eight thousand rupees to each such partner; or (ii) the total remuneration payable to all such partners is higher than the said 25 per cent , such percentage, or a sum calculated at the rate of forty – eight thousand rupees to each such partner, whichever is less , shall be deducted under this proviso: Provided also that where such employer is an individual or a Hindu

	Undivided Family - (i) an amount equal to 25 per cent of the gross profits derived by such employer from the establishment in respect of the accounting year after deducting depreciation in accordance with the provisions of clause (a) of section 34; or (ii) forty-eight thousand rupees, whichever is less by way of remuneration to such employer, shall also be deducted.
--	--

Explanation : The expression "reserves" occurring in column (3) against Item Nos. 1(iii), 2(iii) and 3(ii) shall not include any amount set apart for the purpose of-

(i) payment of any direct tax which, according to the balance-sheet, would be payable;

(ii) meeting any depreciation admissible in accordance with the provisions of clause (a) of section 34;

(iii) payment of dividends which have been declared, but shall include,-

(a) any amount, over and above the amount referred to in clause-(i) of this Explanation, set apart as specific reserve for the purpose of payment of any direct tax; and

(b) any amount set apart for meeting any depreciation in excess of the amount admissible in accordance with the provisions of clause (a) of section 34.

Schedule E

(see rule 4 (3))

S.No.	UNSKILLED
1	Beldar
2	Calf boy
3	Cattleman
4	Cleaner (Motor shed, Tractor, Cattle, Yard, M.T)
5	Collecting loose fodder
6	Dairy coolie
7	Mazdoor (Arportculturist Compost, Dairy's Haysteking, Irrigation, Manure, Stacking, Milk-room, Ration room Store, Anti-Malaria, M.R.)
8	Driver (Mule, Bullock, Camel, Donkey)
9	Dresser
10	Driver (Bullocks Mule)
11	Grazler
12	Dairyman
13	(Store-Mazdoor)
14	Carrier (Stone),
15	Breaker (using manual appliances)
16	Helper
17	Messenger (Office)
18	Mali
19	Syce

20	Tying and Carrying loose hay
21	Sweeper,
22	Weighing and Carrying bales,
23	Weighman (Bales, pally),
24	Waterman,
25	Stable man,
26	Trolley man
27	Valveman,
28	Watchman,
29	White Washer,
30	Wooderman,
31	Wooder Woman,
32	Borryman,
33	Coalman,
34	Condenser,
35	Attendant,
36	Grass Cutter,
37	MuchharsJamadars,
38	Condenser Attendant,
39	Shunters
40	Turner,
41	Bajri Spreader,
42	Beater Women,
43	Bell-Woman,
44	Chain Man,
45	Boat Man,
46	Bucket Man,
47	Labourer (Boiler, Cattle Yard, Cultivation, General Loading and Unloading, Bunding, Carting-Fertilizers, Harvesting, Miscellaneous Seeding, Sowing, Thatching, Transplanting, Weeding)
48	Cleaner (Crane, Truck, Cinder for ash Pit),
49	Cartman,
50	Caretaker (Bridge),
51	Carrier (Water),
52	Chowkidar,
53	Concrete (Hand Mixer),
54	Daffadar,
55	Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule),
56	Flag Man,
57	Flagman (Blast Train),
58	Khalasi not attending to machines

59	Gangmen,
60	Gatingman (Permanent Way),
61	Handle Man, Jumper Man,
62	Kamin (Female Work),
63	Khalas,
64	Bridge,
65	Electrical,
66	Marine,
67	Moplah,
68	Store,
69	Steam Road,
70	Share,
71	Roller Survey,
72	labourer (Garden),
73	Mazdoor,
74	Hole Cutter,
75	Lorry Trainees,
76	Petrolman,
77	Searcher,
78	Signal man,
79	Strikers,
80	Vaks Controller,
81	Cleaner
82	Dresser / Dressing Mazdoor
83	Loader
84	Mazdoor (Male/Female)
85	Messenger (Male / Female)
86	Trammer
87	Caretaker (except in Copper, Chromite and Graphite mines where it is semiskilled)
88	Office Peon /Peon (except in Bauxite Mines)
89	Sweeper (Male / Female)
90	Carrier
91	Number Taker
92	TrolleyTriper
93	Water Carrier
94	Earth Cutter
95	Survey Khalasi
96	Gate Man,
97	Concrete (Hand Mixer)
98	Dismantling stocks

99	Lampman
100	Beldar/Beldar (Canteen)
101	Coolie
102	Peon
103	Cook-helper
104	Office Boy
105	Quarry Worker
106	Jelly Maker
107	Over burden Remover
108	Waste removing mazdoor
109	Unloader
110	Excavating Labour
111	Digger
112	Butcher
113	Attender
114	Lorry Helper
115	Surface loader
116	Wood Cutter
117	Surface Mukar
118	Under Ground Mukar
119	Striker (Moplah gang),
120	Tall Boy,
121	Tile
122	Person employed in loading and unloading
123	Person employed in sweeping and cleaning and other categories by whatever name called which are of unskilled nature

S.No	SEMI SKILLED
1	Assistant (Chowdhary)
2	Attendant (Bull-calving lines, Chowkidar, Chaff cutter, Hostel, Dry Stock, Grain crusher, Pump, Siekline,
3	Stable, Yard Stock)
4	Assistant-Plumber
5	Attendant
6	Bhisti
7	Brander
8	Bullman
9	Butterman
10	Coachman
11	Cobbler

12	Cultivator
13	Daftry
14	Deliveryman
15	Dhobi
16	Dresser
17	Fireman
18	Gowala
19	Hammerman
20	Helper (Blacksmith)
21	Helper
22	Jamadar (stand)
23	Jamadar
24	Khalasi
25	Mali Senior
26	Mate/Mistry
27	Mazdoor (literate)
28	Nalband
29	Oilman
30	Ploughman
31	Vtackers
32	Supervisor
33	Thatcher
34	Valveman
35	Valveman (Senior)
36	Wireman fixing tin cables
37	Cook
38	Dandee
39	Frash
40	Hacksaw man
41	Helper (locco-Crane/Truck)
42	Manjhee (Boatman)
43	Belchawala
44	Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Bulldozer Driver Mines Regulations, 1961)
45	Bhisti (with Mushk)
46	Boatman (head)
47	Breaker,
48	Breaker (Stone, Rock, Rock Stone, Stone Metal)
49	Canweaver
50	Chainman(Head)

51	Charpoy-Stringer
52	Checker
53	Cracker
54	Dollyman
55	Assistant
56	Driller
57	Driver (Skin)
58	Excavator
59	Ferroman
60	Fireman (Brick Kiln, Steam Road Roller)
61	Gate Keeper
62	Gharami
63	Classman
64	Grater
65	Greaser-cum-Fireman
66	Grinder
67	Hammerman
68	Helper (Artisan)
69	Helper (Sawyer)
70	Keyman
71	Khalasi (Head Survey, Rivertters-Moplah Gang, Supervisory)
72	Labourer (Rock-Cutting)
73	Lascar
74	Mali (Head)
75	Stockers and Boilerman
76	Thoombaman (Spade worker)
77	Tindals
78	Trolleyman (Head Motor)
79	Fitter (Assistant Semi-Skilled)
80	Jamadar (Semi-skilled)
81	Mate (Stone)
82	Kasab
83	Khalasi (Structural)
84	Masalchi P.M. Mates
85	Miner
86	Untrained Mate/ Mining Mate/ Mate without Competency certificate Under Metalliferous Mines Regulations, 1961
87	Butler/Cook
88	Breaker (using mechanical appliances)
89	Crech Ayah/Ayah/Untrained Crech Attendant

90	Assistant Driller
91	Oilman/Oiler
92	Chowkidar/ Watchman
93	Helper (Mason, Carpenter, Blacksmith)
94	Tindals
95	Topas
96	Topkar (Big Stone Breaker)
97	TrolleyJamadar
98	Winchman
99	Attendance-keeper
100	Assistant Wireman
101	Mate
102	Mate (Blacksmith, Road, Carpenter)
103	Engine Driver and/or Feeder
104	Fitter
105	Gang
106	Mazdoor Mason
107	Permanent Way
108	Pump-Driver, Turner)
109	Mazdoor (Heavy-weight)
110	Charge-man
111	Mistri (Head
112	Muccadam
113	Night-guard
114	Runner (Post dak)
115	Oilman
116	Quarry man
117	Quarry Operator
118	Stoneman
119	Stocker
120	Thatcher
121	Pump Attendant
122	Bearer
123	Breakman
124	Crowlder Man
125	Laboratory Boy
126	PointsmanSencummy
127	Stone mines and other cateogires by whatever name called which are of semi-skilled nature

S.No	SKILLED
1	Artificer (Class-II, III, IV)
2	Blacksmith
3	Blacksmith (Class II)
4	Boilerman
5	Carpenter
6	Carpenter (Class II) Carpenter-cum- Blacksmith
7	Chowdhary
8	Driver
9	Driver (Engine Tractor, M.T.Motor)
10	Electrician
11	Fitter
12	Mason
13	Mason Class II
14	Machine hand (Class II, III, IV)
15	Machineman
16	Mate Gr. I (Senior)
17	Mechanic
18	Milk Writer
19	Mistry (Head)
20	Moulder
21	Muster Writer
22	Operator (Tube-well)
23	Painter
24	Plumber
25	Welder
26	Upholsterer
27	Wireman,
28	Chipper
29	Chipper-Cum-Grinder
30	Cook (Head)
31	Driller
32	Driller (Well Boring)
33	Driver(Loco/Truck)
34	Electrician (Assistant)
35	Mechanic (Tube-Well)
36	Mistry(Stell, Tube-Well, Telephone)
37	Meter Reader
38	Meterorogical Observer Navghani

39	Operaor (Batching Plant, Cinema Project, Clamp Shelf, Compressor, Grane, Dorrick, Diesel Engine, Doser, Dragling Drill Dumber, Excavator, Fork Lift Generator, Grader, Jack Hammer and Payment breaker Loader, Pump, Pile Driving, Scrapper, Screening Plant, Shoal, Tractor, Vibrator, Weight Batcher, Railway Guards, Repairer (Battery)
40	Sharper/Slotter
41	Sprayer (Ashalt) Station Master
42	Surveyor (Silt)
43	Trades-Man
44	Train Examiner
45	Turner/Miller
46	TyreVulcaniser
47	Sawyer
48	Sawyer (Selection Grade Class II) Serang
49	Serangpile
50	Driving Pantooms with Boiler
51	Shapesman
52	Shift-incharge
53	Sprayman
54	Sprayman (Roads)
55	Stone Cutter
56	Stone Cutter (Selection Grade, Grade II, Class II)
57	Stone Chisler
58	Stone Chisler (Class II)
59	Stone Blasterer
60	Sub-Overseer (Unqualified)
61	Surveyors
62	Pump Driver
63	Pump Driver (Selection Grade), Grade II and III, Class II)
64	Pump Driver (Selection Grade, P.E., Driver,
65	Pumpman
66	Pumpman (Assistant)
67	Plumber
68	Polisher (with spray) Grade II
69	Ratan Man
70	Rivet Cutter (Assistant)
71	Rivetter
72	Rivetter (Cutter)
73	Road Inspector Grade II, Railway Plate Layer
74	Rod Bender
75	Haulage Operator
76	Dispensary Attendant

77	Work Sakar
78	Mica Cutter Grade -I
79	Dresser Grade -I Mica
80	Supervisory Fireman
81	Fireman only in Mines
82	Compressor Driver
83	Pump Man Driver 96. Grinder in Mica Mines
84	Surveyors (Assistant)
85	Tailor
86	Tailor(Upholstry)
87	Transprayer
88	Tar man
89	Line Man
90	Tiler Class II
91	Wall(Floor, Roof)
92	Tiler (Selection Grade)
93	Tin-Smith
94	Tin Smith(Selection Grade, Grade II and III, Class II) Tinker
95	Well Sinker
96	Assistant Mistry
97	Armature Winder Grade-II and III
98	Bhandari
99	Blacksmith
100	Blacksmith (Selection Grade, Grade II, III, Class II and III)
101	Boilerman
102	Boilerman Grade II and III
103	Boiler Foreman Grade II
104	Work (Assistant)
105	Brick Layer
106	Bricklayer (Selection Grade, Class II)
107	Blaster
108	Chowkidar (Head)
109	Security Guard (without arms)
110	Carpenter
111	Carpenter (Selection Grade, Grade II and III, Class I and III Assistant
112	B.I.M. Road
113	Cabinet Maker
114	Caneman
115	Celotex
116	Cutter Maker Chargeman, Class II and Class III, Carpenter Ordinary)

117	Checkder (Junior)
118	Chick Maker
119	Chickman (Junior) Concrete Mixure Mixer
120	Concrete Mixure Operator
121	Cobbler
122	Coremaker
123	Driver
124	Driver Motor Vehicle
125	Motor Vehicle Selection Grade
126	Motor Lorry
127	Motor-Lorry Grade II
128	Lorry Grade II
129	Diesel Engine
130	Diesel Engine Grade II
131	Mechanical Road Roller I.C. and Cement Mixer etc.
132	Road Roller
133	Road Roller Driver Grade II
134	Driver (Engine Static Stone Crusher, Tractor/Bull Dozer, Steam Road Roller, Water Pump, Mechanical Assistant, Road Roller, Mechanical, Steam Crane, Tractor with Bull Dozer Mechanical, Transport, Engine Static and Road Roller Boiler Attendant
135	Engine Operator (Stone Cursher Mechanical)
136	Distemperer, Electrician, Electrician (Grade II, Class II and Class III)
137	Fitter
138	Fitter (Selection Grade, Grade II and III) class II and III Assistant, Pipe class II, Pipe Line ending Bars for
139	reinforcement Cum-mechanic, Mechanic and Plumber)
140	Gharami (Head)
141	Glazier
142	Hole Drillar for Blasting
143	Joiner
144	Joiner (Cable, Cable Grade II)
145	Lineman (Grade II, III, High Tension/Low Tension)
146	Mason
147	Mason (Selection Grade, Grade II, III and Class B Mistry)
148	Stone (Stone Class II, Brick Work, Stone work)
149	Brick-layer
150	Tile Flooring
151	B.I.M Muccadam (Head)
152	Stone cutting
153	Ordinary Machanis
154	Mechanic

155	Mechanic (Class II, Air conditioning, Air conditioning Grade II)
156	Diesel Grade II
157	Road Roller Grade II
158	Assistant, Radio)
159	Manson (Gharami)
160	Mistry
161	Mistry Grade II, Air conditioning Grade II, P. Way, Survey, Santras Works)
162	Mason Class A
163	Moulder
164	Moulder (Brick, Tile)
165	Painter
166	Painter (Selection Grade, Grade II and III, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Polisher, Rough)
167	Plasterer
168	Plasterer (Mason Grade II)
169	Plumber
170	Plumber (Selection Grade, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Rough),
171	Plasterer
172	Plasterer (Mason Grade II)
173	Plumber (Selection Grade, Class-II, Assistant Senior, Junior, Mistry Grade II)
174	Plumbing Mistry
175	Plumber-cum-Fitter
176	Polisher
177	Polisher (Floor)
178	Sirdhar Lathe Man
179	Geologist
180	Trailors
181	Turner
182	Upholsterer
183	Upholsterer (Grade II and III)
184	Painter Spray (Class II)
185	Wood Cutter
186	Wood Cutter Section Grade
187	Wood Cutter Class II
188	Work Sircar
189	Welder
190	Airwineh Haulage Operator
191	Auto-electrician
192	Painter
193	Blacksmith
194	Tailor

195	Compressor Operator
196	Blaster/Shot-firer
197	Driver
198	Head cook
199	Chargeman
200	Carpenter
201	Concrete Mixer Operator
202	Compressor Attendant
203	Air Compressor Attendant
204	Tractor Driver
205	Vehicle Driver
206	Chemist and Assistant/ Chemist
207	Sub- overseer (unqualified)
208	Driller
209	Handhole Driller
210	Drill Mechanic
211	Driver Auto
212	Electrician
213	Wireless Operator Asstt. Foreman
214	Foreman
215	Fitter
216	Ferry Driver
217	Issuer Loco
218	Super Foreman
219	Hoist Operator
220	IMCE Driver
221	Driver
222	Loco Driver
223	Loader Operator
224	Linesman
225	Mechanic/ Machinist
226	Mason
227	Mid Wife
228	Tinsmith
229	Supervisory Mechanic
230	Pump Attendant only in Gypsum, Barytes and Rock Phosphates
231	Pump Operator/Driver
232	Mining Mate with competency certificate under Metalliferous Mines\ Regulations, 1961.
233	Mistry
234	Skilled Mazdoor

235	Turner
236	Senior Mechanic
237	Pipe Fitter
238	Supervisor
239	Drafts Man
240	Wireman
241	Timber Man/Timber Mistry Elect.
242	Stone Crusher Operator
243	Crusher Operator
244	Moulder
245	Welder
246	Operator
247	Work Mistry
248	Engine Driver
249	Mining Engine Driver Grade -II
250	Engineman
251	Valveman
252	Cutter
253	Winding Engine Driver Grade - II
254	Security Guard (Unarmed) /Head Chowkidar
255	Shovel Operator
256	Limco Loader Operator
257	Surface Supervisor
258	Dozer Operator
259	Compressor Driller
260	Dumper Tractor Operator
261	Boiler Man (with Certificate)
262	Machinery Attendant
263	Air-conditions Mechanic
264	Crech Attendant only in Magnesite, Manganese and Mica Mines
265	Power Shovel Operator
266	Power and Pump House Operator
267	Miner Grade - I
268	Tractor Operator 80. Tub Repairer 81. Lathe Mistry
269	Stationery Engine Attendant 83. Generator Operator 84. Loading Foreman
270	Diesel Mechanic
271	Ferro Printer cum-chairman
272	White Washing and Colour Washing Man
273	Operator Pneumatic Tools, Operator (Fitter)
274	Boreman

275	Borer
276	Wireman (Grade II and III, Mechanic, Electrical)
277	White Washer
278	White Washer (Selection Grade, Class II)
279	Wireman
280	Welder (Class II, Bridge work)
281	Welder gas
282	Muccatam (with Competency Certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961).
283	Security Guard (without arms) and other categories by whatever name called which are of skilled nature
284	Assistant (Farm)
285	Assistant (Cashier)
286	Librarian
287	Telex or Telephone Operator
288	Hindi Translator
289	Telex or Telephone Operator
290	Hindi Translator
291	Accounts Clerk
292	Clerks
293	Computer/Data Entry Operator
294	Telephone Operator, Typist
295	Store Attendant
296	M. C. Clerk
297	Munshi (Matriculate, Non-matriculate)
298	Store Clerk (Matriculate Non-matriculate)
299	Store Keeper
300	Store Keeper Grade I, Grade II, (Matriculate)
301	Time Keeper
302	Time Keeper (Matriculate Non-Matriculate)
303	Book Keeper
304	Work Munshi
305	Work Munshi (Subordinate)
306	Magazine Clerk
307	Teller Clerk
308	Store clerk
309	Tally Clerk
310	Store Issuer
311	Tool Keeper
312	Computer/Data Entry Operator
313	Record Keeper

314	Tracer
315	File Clerk
316	Register Keeper
317	Time Keeper
318	Clerk
319	Munshi
320	Typist and other categories by whatever name called which are of clerical nature

S.NO	HIGHLY SKILLED
1	Artificier Class I
2	Blacksmith Class I
3	Carpenter Class I
4	Machine
5	Hand Class I
6	Mason Class I
7	Mechanic (Senior)
8	Painter (Grade I, Class I, Spray) Plasterer (Mason) Class I
9	Plumber (Head, class I)
10	Mistry Grade I
11	Polisher (with spray Grade I)
12	Road Inspector Grade I
13	Sawyer Class I
14	Stone Cutter Class I
15	Stone Cutter Grade I
16	Stone Chisler Class I
17	Stone Mason Class I
18	Sub-Overseer (Qualified)
19	Tiler Class I
20	Tinsmith Grade I and Class I
21	Upholsterer Grade I
22	Varnisher Class I
23	Welder-Cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic
27	Welder (Gas) Class I
25	White Washer Class I
26	Wireman Grade I, Class I
27	Wood Cutter Class I
28	Grinder (Tool) Grade I
29	Operator (Batching Plant Grade I)
30	Leader Grade I
31	Pile Driving Grade I

32	Pump Grade
33	Scraper Grade I
34	Screening Plant Grade I
35	Pump Grade I
36	Scraper Grade I
37	Security Guards (with arms)
38	Armature Winder Grade I
39	Blacksmith Grade I and Class I
40	Boilerman Grade I
41	Boilerman Foreman Grade I
42	Brick Layer class I
43	Cable Joiner Grade I
44	Carpenter grade I and Class I
45	Celo Cutter and Decorator
46	Chargeman Class I
47	Checker (Sr) Driver Lorry Grade I
48	Motor Lorry Grade I
49	Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I
50	Road Roller Grade I
51	Pump Class Electrician Grade I and Class I/ Grade I
52	Fitter (Grade I, Class I)
53	Pipe Class I (Head)
54	Foreman(Assistant) Line Man Grade I Mason (Skilled Grade I, Class I)
55	Mast Rig
56	Mechanic Class I and Class II
57	Mechanic (Diesel Grade I and Road Roller Grade I
58	Airconditioning Grade I/Class I, Mistry Grade I
59	Mistry (Airconditioning Grade I)
60	Overseer
61	Overseer (Senior and Junior)
62	Dragline Grade I
63	Drill Grade I
64	Dumper Grade I
65	Excavator Grade I
66	Fork Lift Grade I
67	Generator Grade I
68	Rigger Grade I
69	Rigger Grade II
70	Charper/Sletter Grade I
71	Shovel and Dragline Tractor Grade I

72	Tradesman Class I
73	Turner/Miller Grade I
74	Work (Assistant) Grade I
75	Compounder
76	Surveyor
77	Winding Engine Driver
78	Operator (Heavy Earth Moving Shovel and Bulldozer)
79	Head Mistry
80	Staff Nurse with Diploma
81	Drill Operator other than Jack Hammer
82	Electrical Supervisor with Competency Certificate
83	Underground Shift Boss
84	Head Mechanic
85	Qualified and Experienced Welder
86	Machine Tool Mechanic
87	Mechanical/Plant Foreman
88	Mining Supervisor
89	Vocational Training Instructor/Teacher
90	Head Electrician
91	Accountant
92	Steno with 7 years of service
93	Store Incharge
94	Shift Incharge
95	Supervisor
96	Incharge of Watch and Ward
97	Security Guard (Armed)
99	Crane Grade I
100	Diesel Engine Grade I
101	Dozer Grade I
102	Clamp Shell Grade I
103	Compressor Grade I
104	Grader Grade I
105	Tractor Grade I
106	Vibrator Grade I
107	Screening Plant Grade I
108	Shovel Grade I
109	Shovel and Dragline
110	Tyre vulcaniser Grade I
111	Security Guard (with Arms) and other categories by whatever name called which are of Highly-skilled nature